खण्ड-02 सत्र - 02 (भाग-01) / अंक- 21

सोमवार 30 नवम्बर, 2015 / 09 मार्गशीर्ष 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

l=&2 Hkkx ¼1½ lkeokj] 30 uoEcj] 2015@09 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&21

l-	fo"k;	i"B l-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3—22
3.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	22—34
4.	विधेयक का पुरःस्थापन (दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015)	34—36
5.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	36—46
6.	विधेयकों पर विचार एवं चर्चा	46—110
	(1) दिल्ली विद्यालय लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी विधेयक, 2015	
	(2) दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015	
	(3) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2015	

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ lkeokj] 30 uoEcj] 2015@09 ekx'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&21

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री पवन कुमार शर्मा
3. श्री अजेश यादव
4. श्री मोहेन्दर गोयल
5. श्री वेद प्रकाश
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. श्री रघुवेन्दर शौकीन
9. सुश्री राखी बिड़ला
10. श्री विजेन्द्र गुप्ता
11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री गिरीश सोनी

19. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
20. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
21. श्री महेन्द्र यादव
22. श्री नरेश बाल्यान
23. श्री गुलाब सिंह
24. श्री कैलाश गहलोत
25. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
26. सुश्री भावना गौड़
27. श्री सुरेन्द्र सिंह
28. श्री प्रवीण कुमार
29. श्री सोमनाथ भारती
30. श्रीमती प्रमिला टोकस
31. श्री करतार सिंह तंवर
32. श्री प्रकाश
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालका जी
37. श्री सही राम
38. श्री नारायण दत्त शर्मा
39. श्री अमानतुल्लाह खान
40. श्री राजू धिंगान
41. श्री मनोज कुमार
42. श्री नितिन त्यागी
43. श्री एस.के. बग्गा
44. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
45. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
46. सुश्री सरिता सिंह
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ lkeokj] 30 uoEcj] 2015@09 ekxZ'kh"k] 1937 ¼'kd½ vd&21

lnu vijkgu 2-00 ct: leor g|vkA

माननीय अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xk;y½** *पीठासीन हुए।*

ekuuh; v/;{k }kjk 0;oLFkk

v/;{k egkn; % आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए पंजीकरण कराने का समय आ गया है।

मेरा विजेन्द्र जी से कहना है कि अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके कारण विद्यालय प्रबंधकों में उत्पन्न असमंजस व अनिश्चितता की स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षण और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री से अपना वक्तव्य देने की मांग की गयी है। मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष से नियम 54 के तहत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है जिसके अंतर्गत उन्होंने दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के दिशा निर्देशों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा है।

मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि सदन में शिक्षा संबंधी कई विधेयकों पर विचार किया जाना है। सदस्यों द्वारा उक्त विधेयकों पर चर्चा के दौरान भी इस विषय को उठा लें। इसके अतिरिक्त इस तरह के विषयों के लिए नियम 280 का भी प्रावधान है और आज शिक्षा पर तीन विधेयक आये हैं, उन पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद।

विशेष उल्लेख नियम 280 में...

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगी।...सरकार से...न्याय मिलेगा महिलाओं को, हम सदन में आये हैं...सुबह की तस्वीरों में है। श्री ओ.पी. शर्मा जी कहते हैं कि उनके सारे आरोप जो आपने अपनी कुर्सी से उठकर लगाये हैं, वे निराधार हैं और इनकी भाषा...आज के पोस्टरों में क्या है अध्यक्ष महोदय, ये लिखते हैं, नकटी की नाक कट गयी...नकटी की नाक कट गयी, रावण मारा जायेगा। ये किसकी नाक कटी और किसको रावण कहा जा रहा है? आज पूरी दिल्ली में, आइ.टी.ओ. पर सारा जाम लगा रखा है, प्रदर्शन किया गया महिला विधायकों के खिलाफ।

v/;{k egkn; % अलका जी...

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगी

(सुश्री अलका लाम्बा बोलते हुए सदन के वेल में आई।)

v/;{k egkn; % लाम्बा जी, एक तो आप प्लीज वेल में मत आइये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। लाम्बा जी, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए।

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष महोदय, दो दिन का सैशन बचा है। हम अपनी कुर्सी पर जायेंगे लेकिन आप प्लीज इस पर व्यवस्था दे दीजिएA

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % लाम्बा जी, एक सेंकेड मेरी प्रार्थना सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

lJh vydk ykEck % अध्यक्ष महोदय, आज की भाषा के बारे में क्या करेंगे?

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % आप मुझे समय देंगी कि मैं अपना निर्णय दे सकूं इस पर? एक बार मुझे समय दीजिए। मैं निर्णय दे दूं इस पर। आपके पास जो भी कुछ ये आया है, मोबाइल पर जहां भी कहीं है...

Jherh cUnuk dqekjh (उपाध्यक्षा) % अध्यक्ष महोदय, ये टी.वी. चैनल्स पर चल रहा है।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % सरिता जी...अलका जी अच्छा मेरी प्रार्थना सुनेंगी अब? ...एक सेकेण्ड के लिए। मेरी सभी महिला विधायकों से प्रार्थना है कि यह विषय अत्यंत गंभीर है। इसके बावजूद भी अगर टी.वी. पर ऐसा बयान दिया जा रहा है, तो ये एथिक्स कमेटी के अधिकारों को और मजबूत करेगा। आप सदन पर विश्वास तो रखिए। एथिक्स कमेटी पर विश्वास तो रखिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egksn; % हां होगी।...मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए।...आप ये कह रहे हैं कि डेली होगी। 27 नवम्बर को एथिक्स कमेटी की पहली मीटिंग हो चुकी है। मैं कह चुका हूं डेली नियमित होगी। 27 को पहली बैठक हो चुकी है।

...(व्यवधान)

lqJh vydk ykEck % अध्यक्ष महोदय, शनिवार को भी हो सकती थी।

v/;{k egksn;% अलका जी 28 और 29 को अवकाश था।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष महोदय, यह एक सदस्य को जान बूझकर प्रताड़ित करने की गहरी साजिश है। ये साजिश हो रही है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अच्छा एक बार सब अपने आसन पर जाइये।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अलका जी, एक बार मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं आश्वासन दे रहा हूं। दो मिनट मुझे बोलने दें।... मुझे बोलने तो दीजिए।...अलका जी, मुझे बोलने तो दीजिए। एक बार। मैं शांति चाहता हूं, प्लीज। ...एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं। 27 तारीख को तुरंत सदन के बाद साढ़े 6 बजे मीटिंग हुई है। 28 और 29 को छुट्टी थी। आज फिर साढ़े 6 बजे मीटिंग हो रही है एथिक्स कमेटी की और जितना जल्दी हो, मैं इसे करवा रहा हूं जल्दी से और क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, अलका जी, मैं एक सेकेण्ड अपनी बात पूरी कर लूं।...मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। विजेन्द्र जी, डिपुटी स्पीकर साहिबा ने स्वयं खड़े होकर ये कहा है कि टी.वी. चैनल्स पर चल रहा है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % नहीं विजेन्द्र जी, मैंने ये तो नहीं कहा न। आप मेरी बात सुन लीजिए ऐसे नहीं। अगर टी.वी. चैनल्स पर इस ढंग की अभद्र भाषा जो लाम्बा जी बता रही हैं।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % किसी ने मारा नहीं, मैंने फुटेज देख लिये हैं। मैंने टोटल फुटेज देखा है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आपको इसमें कम से कम...

Jh fotUnz xIrk % जो सदस्य ने भेजा, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। ये एकतरफा साजिश के तहत...सब हो रहा है यहां।

...(व्यवधान)

Jherh cUnuk dekjh % गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी वहां क्या कर रहे हैं? सबसे दुख की बात है। पूरा भाजपा उनके अभद्र व्यवहार के साथ खड़ी है।

...(व्यवधान)

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष महोदय, सबसे दुख की बात ये है।

v/;{k egkn; % गुप्ता जी, मैं स्टेटमैन्ट दे रहा हूं। सदन के अंदर स्टेटमैन्ट दे रहा हूं। विजेन्द्र जी, दो मिनट अलका जी। अलका जी, दो मिनट रुकिए। सरिता जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अलका जी।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % अलका जी, मेरी बात तो सुनिए एक बार।...सरिता जी, दो मिनट चुप हो जाइये। मेरी बात सुन लीजिए।

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, यह विजेन्द्र गुप्ता जी अपनी गलती को बोलने के लिए तैयार नहीं है और गलती पर गलती, रोज कुछ नया–नया ड्रामा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सरिता जी, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वो चुप होते हैं आप बोलते हैं, दो मिनट तो चुप हो जाओ।

...(व्यवधान)...

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, सभी महिलाएं, आज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आई हैं और महिलाएं बार–बार हम से पूछती हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग क्या करें? बाहर जाकर देखिये, हमारी स्थिति क्या है?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे अपनी बात कहने दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं दो मिनट तो चुप हो जाइये। दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)...

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, सदन को इन लोगों ने, भाजपा के साथियों ने तमाशा बनाकर रख दिया है।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मुझे दो मिनट का मौका नहीं देंगे?

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % अध्यक्ष जी, हम इसका विरोध करते हैं, आप बुलवाये जा रहे हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सरिता जी, दो मिनट का समय मुझे दे दीजिए प्लीज। विजेन्द्र जी, प्लीज। दो मिनट शांत नहीं होंगे क्या? अलका जी, प्लीज। देखिये विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % अध्यक्ष जी, जो हमारे साथ हुआ, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो मिनट बैठिये।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % हम तब तक सदन में अपनी बात कहते रहेंगे, आप जब तक उसकी जांच के आदेश नहीं देंगे, जो हमारे साथ हुआ, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है?

...(व्यवधान)...

Jherh cUnuk dekjh % अध्यक्ष जी, बी.जे.पी. का असली चेहरा सामने आ रहा है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % बंदना जी, आप दो मिनट बैठिये।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में बताया जाये, जो हमारे साथ सदन के अंदर हुआ, क्या दोष था मेरा?

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। अलका जी, प्लीज दो मिनट का अवसर मुझे दे दीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं दो मिनट।

...(व्यवधान)...

Jherh cUnuk dekjh % सभी महिलाएं चुप क्यों रहेंगी?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अलका जी, मुझे निर्णय ले लेने दीजिए।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % उसकी जांच करवाइये हमारे पर अटैक हुआ है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिये। मैं रूलिंग दे रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। दो मिनट रुक जाइये।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % साजिश के तहत हमारे ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यह सब साजिश की जा रही है, विपक्ष संख्या में कम है और आप डर के मारे...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं। आप दो मिनट के लिए शांत हो जाये। विजेन्द्र जी ने जो बात कही, अलका जी ने जो बात कही, मैं रूलिंग दे रहा हूं उस पर अपनी। दो मिनट रुक जाइये। विजेन्द्र जी को यदि ऐसा लगता है कि उन पर हाथ छोड़ा गया है, मुझे राइटिंग में दें। एक बात। ऐसे चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। आप चिल्ला रहे हैं बेमतलब के लिए। ऐसे नहीं, आज तक मेरे पास, एक सैकेंड रुक जाइये अलका जी।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % मुझे गाली दी गई है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % ऐसे नहीं चलेगा। बंदना जी, प्लीज।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % उप मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सरिता जी, दो मिनट के लिए रुक जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % एथिक्स कमेटी को यह मामला भी सौंपा जाना चाहिए।

v/;{k egkn; % मेरी बात सुन लीजिए। आप राइटिंग में मुझे दीजिए।

Jh fotUnz xIrk % हमारा सदन में विरोध है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, एक सैकेंड रुक जाइये प्लीज।

Jh fotUnz xIrk % हमारी सीट पर आकर हमको मारा जा रहा है।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए।

Jh fotUnz xIrk % सरकार करवा रही है यह। विपक्ष को पिटवा रही है यहां।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आप बोले जा रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हैं।

Jh fotUnz xIrk % एकतरफा जांच बिठा दी बस।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक बार बैठिये। दो मिनट बैठिये। नितिन जी, प्लीज मैं खड़ा हूं। मुझे बड़े अफसोस से यह बात कहनी पड़ रही है सदन के बीच में विजेन्द्र जी जो बात रख रहे हैं, जो सदन के नियम हैं, मुझे अब तक उनसे इस विषय पर कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % मैं सदन के अंदर कह रहा हूं

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, दो मिनट रुक जाइये। मैं खड़ा हुआ हूं। दो मिनट रुक जाइये। मैं अपनी बात कर रहा हूं।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % अब आप लिखा–पढ़ी चला रहे हैं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं अपनी बात कर रहा हूं, विजेन्द्र जी, मैं खड़ा हुआ हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बता रहा हूं।

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xlrk % अध्यक्ष जी, हम बैठ रहे हैं, अगर बाकी सदस्य आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपकी अवहेलना कर रहे हैं तो हम...

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं रोक रहा हूं उनको। आप दो मिनट रुकिये। आप एक बार सीट पर चलिये प्लीज। अलका जी, आप सीट पर जाइये। हां, मैं फैसला सुना रहा हूं, दो मिनट चलिये। अब मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं बड़े अफसोस से यह बात कह रहा हूं कि आपने उस दिन सदन के अंदर विषय रखा था कि हम पर हाथ छोड़ा गया है। मैंने सेम डे यहां जितनी देर भी लगी, मैंने वीडियो क्लिपिंग मंगवाई, वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद कहीं पर भी मुझे उस वीडियो क्लिपिंग में एक बार भी जो विधान सभा की क्लिपिंग है, वो मैं आपको दिखा सकता हूं आप मेरे साथ बैठ लें।

Jh fotUnz xIrk % आप जांच करवाइये ना।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % यह सदन अपने आप में जांच है।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % यही तो हमारा कहना है, सदन के अंदर हाथ उठाया गया।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % अलका जी, दो मिनट रुक जाइये। आप दो मिनट बैठिये।

...(व्यवधान)...

Jh fotUnz xIrk % यहां पर आकर मां–बहन की गालियां दीं, मां–बहन की गालियां खाने आये हैं सदन में, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दूसरी बात, यह सारा विषय, अलका जी, दो मिनट रुक जाइये। विजेन्द्र जी, अब वो बैठे हैं। विजेन्द्र जी, आप अवहेलना कर रहे हैं अब। वो सब सदस्य बैठ गये हैं मेरे कहने पर। आपने बात रखी थी, आप स्वयं अवहेलना कर रहे हैं।

Jh fufru R;kxh % आप xxx[1] बोल रहे हैं।

v/;{k egksn; % नितिन जी, प्लीज। यह xxx शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिए। नितिन जी, आप बीच में मत टोकिये। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, आपने जांच की बात की, इस सदन की मर्यादा, गरिमा एथिक्स कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है वो पूरी जांच करेगी, हर दृष्टि से जांच करेगी। एथिक्स कमेटी को विषय दिया गया, सर्वसम्मति से दिया गया। आपके कोई भी ग्रिवेंसेस हैं, वो आप भी एथिक्स कमेटी को दे सकते हैं। लेकिन सदन में इस ढंग से बार–बार कहना, हमला किया गया, मार–पीट की गई, गालियां दी गईं, जो भी कुछ आपको कहना है, यह विषय सारा एथिक्स कमेटी को गया है, आप उसको दीजिए और पूरी जांच होगी, पूरी पड़ताल होगी, मैं इसका आश्वासन दे रहा हूं। एक मिनट, पूरी बात कर लूं मैं। इसके अतिरिक्त एथिक्स कमेटी आने के बाद, निर्णय आने के बाद आपको यह लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तब तो जांच की मांग करें, किसी और कमेटी को जांच दें और कहीं जाये वो तथ्यों के आधार पर आयेगा, सारी चीजों के आधार पर आयेगा। दूसरी बात, अलका जी ने जो विषय रखा है, अगर यह सत्य है जो वो वीडियो दिखा रही हैं, जिसकी बंदना जी ने गंभीरता से बात रखी है, टी.वी. चैनल्स पर चल रहा है। ठीक है इसकी क्लिपिंग मुझे दे दीजिए बाद में। यह बहुत निंदनीय काम है, इसके बावजूद भी अगर हम अपने एक सदस्य को, चाहे किसी भी दल का है, सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, इस ढंग के घटिया काम करता है, पार्टी के नेताओं का दायित्व हो जाता है कि सदन की गरिमा को बनाये। उसको आप नहीं रोक सकते, नहीं रुकवा सकते, इन सब चीजों को, फिर मुझे कुछ आगे बढ़ना

[1]xxx चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

पड़ेगा। मुझे कुछ आगे और स्टेप लेने पड़ेंगे, जिनको मैं नहीं लेना चाहता। टी. वी. चैनल्स पर अगर इस ढंग की बात हो रही है, इस ढंग के बयान दिये जा रहे हैं, मैं अपना अपमान हर तरीके से सह सकता हूं लेकिन माननीय सदस्यों का अपमान मैं किसी ढंग से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत–बहुत धन्यवाद के साथ, मुझे रावण कहना है, रावण कहे, दिमाग खराब हो गया, जो मर्जी आये कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माननीय सदस्यों का विशेषकर बहनों का कोई अपमान करे। Will never tolerate, I will never tolerate उनको एक बार आगाह कीजिए और आपके जो भी ग्रिवेंसेस हैं, जिस टाइप के भी हैं, आप लिख दीजिए। मेरी सबसे ज्यादा प्रायरिटी यही है। मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना कर चुका हूं, हम यहां दिल्ली की समस्याओं के लिए आये हैं और दिल्ली की समस्याओं के लिए समय मिले, उनकी चर्चा हो, लेकिन इस ढंग से अलका जी पीड़ित हो रही है, बंदना जी, डिप्टी स्पीकर कह रही हैं कि टी.वी. पर चल रहा है यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। निंदनीय है। आप मुझे दीजिए, कौन से चैनल पर चला, मैं इसका संज्ञान लूंगा। धन्यवाद।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % जब मैंने कहा आप लिख कर दीजिए।

Jh fotUnj xqIrk % अध्यक्ष जी, देखिये, उस दिन सदन में यही चर्चा थी, आपने प्रकरण के एक हिस्से पर जांच की है, पूरे प्रकरण पर जांच क्यों नहीं हुई है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप लिखकर दीजिए ना, आप एथिक्स कमेटी को दीजिए।

Jh fotUnz xIrk % अध्यक्ष जी, आपने जांच के आदेश दिये, तब किसने लिखकर दिया था, आप मुझे बताइये।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप लिखकर दे दीजिए।

Jh fotUnz xIrk % अध्यक्ष जी, मेरा यह अनुरोध है कि यहां पर सदन के अंदर, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही हो रही है, जो बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है।

...(व्यवधान)---

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी बैठ जाइये आप। मैंने आपसे कहा आप लिखके दीजिए। विजेन्द्र जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बैठिए।

...(व्यवधान)---

v/;{k egkn; % मैं 4 बजे तक विजेन्द्र गुप्ता जी को नेम कर रहा हूं कि वो सदन के बाहर जाएं। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी 4 बजे तक सदन से बाहर जाएं। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं 4 बजे तक सदन के बाहर जाएं।

...(व्यवधान)---

v/;{k egkn; % नहीं, मैं सुन नहीं सकता। मैंने बार–बार ये कहा है।

Jh fotUnz xIrk % आप सदन से बाहर निकालेंगे?

v/;{k egkn; % हां, बिल्कुल निकालूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर गलत बोल रहे हैं। आप बार–बार गलत बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा आप लिखके दीजिए। मैंने इतना स्टेटमेंट दिया है। मैं टोटल वीडियो रिकॉर्डिंग देख चुका हूं। आप किसी तरह से समझने को तैयार नहीं है। आप एक बार ये नहीं कह रहे। आपने आज सदन में, मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)---

v/;{k egkn; % बंदना जी, एक सेकेण्ड बैठिए, प्लीज। एक सेकेण्ड अगर आप एक शब्द बोल देते सदन में कि अगर ये ऐसा किया है। जो वीडियो रील दिखाई है। आप अगर एक सेकेण्ड बोल देते ये सदन में। राजनीति नहीं कर रहे हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। डिप्टी स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैंने आदेश दिया है। आप 4 बजे तक बाहर चलिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 4 बजे तक बाहर चलिए। 4 बजे तक सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए और 4 बजे के बाद आप आइये, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं–नहीं। देखिये मैं नहीं चाहता मैं मार्शल को बुलाऊं। मुझे सदन की कार्यवाही चलानी है।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप चाहते यही हैं मार्शल को बुलाया जाए। किस पर चर्चा करवानी है?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मार्शल्स, बाहर करिए, प्लीज।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं आप मत बोलिए, प्लीज। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % जल्दी करिए। सदन चलाना है मुझे।

...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष द्वारा सामूहिक नारेबाजी)

v/;{k egkn; % मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मानने को तैयार नहीं हैं। आपको बिलों की चिन्ता ही नहीं है। इतने महत्वपूर्ण बिल हैं, आप उसकी चिन्ता नहीं कर रहे।

(सत्तापक्ष द्वारा सामूहिक नारेबाजी)

v/;{k egkn; % मैं मीडिया के बंधुओं से, माननीय सदन के सदस्यों

से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि मेरी प्रायरिटी सदन चलाना है। वो ठीक ढंग से चले। आज इतने महत्वपूर्ण बिल हैं, उसके बावजूद भी उनकी जानकारी में हैं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि शिक्षा के 3 बिल आ रहे हैं। तीनों बिलों पर आज चर्चा होनी है उसके बावजूद भी विजेन्द्र गुप्ता जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शिक्षा पर दे डाला। आज चर्चा होनी है उस पर विषय आना है लेकिन विधेयकों पर चर्चा न हो। सदन का समय खराब हो। एक शब्द अगर वो आज बोल देते अगर टी.वी. पर। डिप्टी स्पीकर अपना बयान दे रही हैं। उनकी अपनी एक सीमा है डिप्टी स्पीकर की। उसके बावजूद वो स्टेटमेंट दे रही थी कि टी.वी. चैनल्स पर चल रहा है। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। अगर ओमप्रकाश जी ने ऐसा किया तो मैं उसकी जानकारी पार्टी को दूंगा। ये हम संज्ञान लेते हैं। ये विषय ही नहीं होता। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा दर्जा होता है सदन में और मुझे बार–बार ये करना पड़ रहा है। बहुत मजबूरी है मेरी कि सदन ठीक ढंग से चले। इतने महत्वपूर्ण बिल हैं। पीछे समय खराब हो गया। अब पांच दिन का समय बढ़ाया है उसके बावजूद भी ये झंझट रहें तो इस ढंग से कार्यवाही नहीं हो सकेगी। जगदीश जी को मैंने बाहर नहीं किया है। कृपया मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो सदन में आ सकते हैं। 280 श्री नरेश बाल्यान जी।

fo'k"k mYy[k ¼fu;e&280½

Jh uj'k ckY;ku % अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में उच्च–शिक्षण संस्थानों की भारी कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली देहात के बच्चों को अगर जे.बी.टी. और बी.एड. करने के लिए।

v/;{k egkn; % नहीं–नहीं, आपने दिया क्या है मुझे? आप बोल किस विषय पर रहे हैं? आपने पेंशन के विषय में दिया है मुझे और शिक्षा का है तो वो तो आयेगा ही शिक्षा के बिलों पर। उसमें चर्चा करिए आप।

Jh uj'k ckY;ku % अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पेंशन की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तम नगर विधानसभा के अंदर तीन बार पेंशन से संबंधित समस्याओं के लिए कैम्प लगा और तकरीबन–तकरीबन पांच सौ से साढ़े पांच सौ लोगों ने फार्म जमा करवाए। आज तक किसी भी एक व्यक्ति की साढ़े पांच सौ में से किसी की पेंशन चालू नहीं हुई। इस बारे में सबसे पहले मंत्री जी के यहां पर मीटिंग हुई थी और मंत्री जी ने एक कैम्प ऑर्गनाइज करवाया था लेकिन साढ़े पांच सौ में से किसी भी व्यक्ति की पेंशन चालू नहीं हुई। तो बहुत भारी दिक्कत हो रही है विधानसभा के अंदर।

v/;{k egkn; % ठीक है, धन्यवाद। श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

Jh jktUn iky xkre % माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1995–96 से कार्यरत चिकित्सकों के भविष्य के लिए सरकार द्वारा लिए गए अहम निर्णयों के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा।

तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न संख्या–126 दिनांक 10.03.2006 में इसी सदन में वायदा किया था कि चिकित्सकों को अपना कैडर बनाने के बाद वरीयता अनुसार व अन्य सेवा सुविधाओं के साथ नियमित करेंगे। इसके उपरांत सरकार ने मंत्रीमंडल के निर्णय संख्या 1139 दिनांक 13.11.2006

तथा कैबिनेट निर्णय 1246 दिनांक 30.07.2007 में इन सभी कार्यरत चिकित्सकों को पूर्ण सेवा सुविधाओं के साथ देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद इनके सेवा लाभों को अब तक लागू नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के द्वारा सदन में किए गए वायदे तथा कैबिनेट के निर्णय को नकारना सही नहीं है। पिछली सरकार के झूठे वायदों से इन 538 चिकित्सकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए अभी तक ये उसी वेतन पर कार्यरत हैं। इन्हें अभी तक एक भी पदोन्नति नहीं मिली है। जबकि इनका कार्यकाल 19 वर्ष हो चुका है जबकि कुछ चिकित्सक तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवानिवृत्त के कगार पर हैं। यह चिकित्सक वर्ग बिना किसी कोलाहल मचाए, पिछले 15 से 20 वर्षों से सरकार की तरफ आस लगाए बैठे है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामलों में शीघ्रअतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करवाकर इन सभी चिकित्सकों को नियमानुसार प्रोत्साहन एवं सेवा लाभ दिलवाने का कष्ट करें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % विशेष रवि जी।

Jh fo'k"k jfo % शुक्रिया अध्यक्ष जी। मैं आपके समक्ष दिल्ली में सीवर की समस्या को लेकर चर्चा करना चाहता हूं। मेरा विषय ये है कि दिल्ली में आज भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि छुट्टी के दिन, चाहे वो संडे है या फिर कोई गवर्नमैन्ट हॉली डे है, उस दिन सीवर के कर्मचारी सीवर की कम्पलैंट को अटैंड करते हैं या नहीं करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो पहली बार करने पर वो मना कर देते हैं लेकिन दुबारा रैफरैंस करने पर या दबाव बनाने पर वो कहते हैं कि सर, हम देखते हैं तो उन कम्पलैंट को दिल्ली जल बोर्ड

छुट्टी के दिन, कम्पलैंट्स को अटैंड करता है, नहीं करता है ये बात स्पष्ट नहीं हैं। दूसरा छुट्टी के दिन जब हम कम्पलैंट किसी की आती है, सीवर की समस्या के संबंध में और खासतौर से उस दिन अगर हम शुक्रवार को हम मान ले, अगर शुक्रवार के दिन किसी गली के अंदर सीवर भर जाता है और वो पूरी गली सीवर के उस मल–मूत्र से भरी हुई होती है और जब हम कम्पलैंट देते हैं, तो वे कम्पलैंट छुट्टी के कारण अगर वो उस समय मना करते हैं तो शुक्रवार की हुई कम्पलैंट, शुक्रवार की वो समस्या सोमवार के दिन आकर अटैंड होती है सुबह और जब ये दो दिन का गैप, अगर एक दिन का गैप भी इस कम्पलैंट को या बाकी कम्पलैंट्स को मिलाके अटैंड करने में आ जाता है तो सोमवार के दिन पहले ही इतनी सारी कम्पलैंट्स होती है कि वो शुक्रवार की कम्पलैंट्स को वो कर्मचारी अटैंड नहीं कर पाते हैं जिसके कारण पूरा हफ्ता वो कम्पलैंट पैंडिंग चलती है। मेरी ये प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि इस बात को वो स्पष्ट करें कि दिल्ली के अंदर छुट्टी के दिन हम कम्पलैंटस अटैंड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मेरी ये प्रार्थना है और बाकी विधायक ही बताएंगे कि जो डेली हमारे कार्यालयों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कम्पलैंट आती हैं तो वो सीवर की आती है, सीवर के भरने की आती है और जिस तरह से हमने अभी–अभी एक जो बिल पास किया है जिसमें अलका जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि पेपर अटैस्ट करना और दूसरी चीजों को विधायक के कार्यालय से अटैस्ट करवा के पास करवाना, उसको ठीक करके उसके साईन करवाकर उसको जमा करवाना, ये विषय मुझे लगता है कि सीवर की समस्या से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता

है कि पिछले सभी विधायकों ने, सरकारों ने इस सीवर की समस्या को इंन्टेन्सनली बनाके रखा हुआ है ताकि लोग परेशान हो के विधायक कार्यालय में आएं वहां पर कम्पलैंट कराएं और विधायक के कहने पर उस कम्पलैंट को अटैंड किया जाए। क्योंकि इतनी गम्भीर समस्या इतने सालों से चलते आना, ये ठीक नहीं है, इस पर विचार किया जाए, शुक्रिया।

v/;{k egksn; % भावना गौड़ जी।

lJh Hkkouk xkM % अध्यक्ष महोदय देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था अपने आप में बहुत लचर व्यवस्था हो गई है, जब दिल्ली के पॉश क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है तो बाकी दिल्ली की कालोनियों में सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। 24 अगस्त को ग्रेटर कैलाश में हुए गैंगवार घटना से पुलिस व्यवस्था ने कोई सबक नहीं लिया। कालोनियों में चैन स्नैचिंग की घटनाएं आम बात हो गई है। यही वजह है कि आज अपराधी बेखोफ होकर वारदात को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। इसके साथ ही अपराधी तत्व पुलिस वालों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली में दो–तीन घटनाएं इस तरह की घटी हैं जिससे अपराध जगत को कम करने के लिए जो हमारे पुलिस वाले जो भाई लगे रहते हैं, उनको भी कहीं न कहीं इसका निशाना बनना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय पुलिस सूचना तंत्र लगातार निष्क्रियता की कगार पर पहुंच गया है, किसी घटना से सबक लेकर आगे उस तरह की घटनाओं की पुनरावृति ना हो, इस व्यवस्था का लगातार अभाव होता जा रहा है। दिन–प्रति दिन बलात्कार की घटनाओं की वृद्धि उपरोक्त बात की पुष्टि करता है। अध्यक्ष महोदय, आखिर दिल्ली की सुरक्षा अब किसके हाथ में है इसकी जिम्मेवारी

कौन लेगा? ये वर्तमान में और भविष्य के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने 14 हजार अतिरिक्त पुलिस कर्मी लगाए जाएं, इस तरह का एक सुझाव दिया था। मैं एक निवेदन करूंगी आपके माध्यम से की कृपा करके आप पुलिस विभाग से इस बारे में जानकारी लें कि इस दिशा में किस तरह का क्या कदम बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय उसके साथ ही पुलिस वालों को चाहिए कि संवेदनशील जगहों को वो चिंहित करे पहचान कर वहां 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था लॉ एण्ड आर्डर ये मजबूत बन सके, जितनी कानून व्यवस्था मजबूत होगी, दिल्ली उतना ही सशक्त बनाकर के उभरेगी, धन्यवाद।

v/;{k egksn; % प्रमिला टोकस जी।

Jherh çfeyk Vkdl % अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग पहले 0 से 200, 201–400 के स्लैब में अपने उपभोक्ताओं को मासिक बिलिंग करता था जिसे विभाग ने चेंज करके नया पैटर्न अप्लीकेबल कर दिया है, जिससे ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं उदाहरण के तौर पर 0 से 200 को लगाता है, ऐसा ही 201–400 वाले स्लैब में हो रहा है अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बिल पर 15–20 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ रहा है, अगर सारी दिल्ली का अनुमान लगाया जाए तो कई हजार करोड़ का अतिरिक्त टैक्स भार पड़ रहा है दिल्ली की जनता पर। बिजली विभाग का कहना है कि बिलिंग साइकिल 29 दिन से ज्यादा होने से स्लैब सोफ्टवेयर अपने आप ही ब्रेक हो जाता है जबकि ऐसा होना गलत है। क्योंकि अगर बिलिंग साइकिल 32 दिन की है, तो स्लैब भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। क्योंकि बिल तो 32 का ही भरा जा रहा है। धन्यवाद!

v/;{k egksn; % श्री सोम दत्त जी।

Jh lkse nÙk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 280 के तहत मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में आनंद पर्वत आता है, जहां न्यू रोहतक रोड पर लोग आधा–आधा घंटा रोड पार करने के लिए खड़े रहते हैं। वहां एक फुट ओवर ब्रिज की बड़ी सख्त जरूरत है और कई बार फैटाल एक्सीडैंट हो चुके हैं ये न्यू रोहतक रोड पे जहां कुंदन रैस्टोरैंट है, मैं उस जगह का जिक्र कर रहा हूं, बड़ा हैवी ट्रैफिक आता है। कंटीन्यूसली ग्रीन लाईट रहती है। वहां पर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं वो वहां रोड क्रॉस नहीं कर पाते, बहुत अर्जेंट बेसिस पर वहां फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है।

कृपया इस संबंध में संबंधित मंत्री महोदय से मेरी रिक्वैस्ट है जल्द से जल्द कार्रवाई करके लोगों को राहत प्रदान की जाए, धन्यवाद।

v/;{k egksn; % श्री राजू धिंगान जी।

Jh jkt f/kxku % बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस विषय पर मैं 27 तारीख को बोल चुका हूं तो मेरा दूसरा विषय है कृपया उसकी इजाजत आप मुझे दें बोलने की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एम.सी.डी. के भ्रष्टाचार को लेकर के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अनधिकृत कालोनी है जिसका नाम है न्यू अशोक नगर जहां पर लोगों की शिकायत आती है कि

एम.सी.डी. के जो अधिकारी हैं वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके और पुलिस के साथ मिलके जिनके भी नये मकान बन रहे होते, उनसे अवैध वसूली करते हैं, एक–एक लैंटर के तकरीबन 50 हजार रुपये वो लोगों से वसूलते हैं। इस संबंध में एम.सी.डी. के बिल्डिंग डिपार्टमैंट को बुलाकर जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बावजूद इसके उनका एक बेलदार है जो इस काम को करता है और वहां के साथ–साथ त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में जो बाकी कालोनी है, वहां पर भी ऐसा होता है, मयूर विहार एक हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक क्षेत्र है, वहां भी ऐसा किया जाता है। कोई अपना नया मकान बनाता है कोई, लैंटर डालता है, उससे अवैध वसूली की जाती है, जिसको लेके लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। मैं चाहता हूं इसपर तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही साथ मैं एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये अपने कानूनों को खुद ही तोड़ते हैं। एम.सी.डी. के कानून 318 के अनुसार अगर किसी ने अपना मकान इस तरीके से बना रखा है। उसका कोई छज्जा, उसकी कोई खिड़की बाहर खुलती है, लोगों को उससे कोई एतराज है तो वो बंद होनी चाहिए और एम.सी.डी. कमीश्नर की उसमें इजाजत चाहिए लेकिन कोई नया मकान बन रहा है और जिसने पहले से छज्जा बाहर निकाल लिया है, वो उलटा उस मकान बनाने वाले की शिकायत करता है। वो अपने ही कानून को तोड़ के उस नये मकान बनने वाले के ऊपर ये नोटिस भेजते हैं। इस संबंध में मैंने फिर एम.सी.डी. के डिप्टी कमीश्नर को लिखा कि ये किस तरीके से आप खुद से बनाए हुए कानून को तोड़ते हो? आपका कानून कहता है कि जिसने बाहर छज्जा निकाला है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नया मकान बनाने के लिए, कितनी मेहनत करके उसने पैसा जोड़ के कुछ किया।

मेहनत करके इतना पैसा उसने जमा किया कि वो मकान बना रहा है, उल्टा वो उसको नोटिस भेजते हैं।

v/;{k egkn; % श्री राजू धिंगान जी थोड़ा कवर कीजिए।

Jh jkt f/kxku% अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं, तो कहने का मतलब सर ये है कि एम.सी.डी. खुद अपने कानूनों को तोड़ रहा है, पूरी तरीके से करप्शन कर रहा है और आम लोगों से ये वसूली की जा रही है, ये कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये जो सफाई कर्मचारी है, इनके वो ए.टी.एम. अपने पास रखते हैं, उनको 4–5 दिन नौकरी पर बुलाते हैं, पूरे महीने की तनख्वाह बनाते हैं, लेकिन उनको 1000–1500 रुपये देके और बाकी सारा अपनी पोकेट में रखते हैं। मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार पर इस अवैध वसूली पर तुरंत कार्रवाई हो, रोक लगनी चाहिए, धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

Jh JhnÙk 'kekZ % माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नियम 280 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी घोण्डा विधान सभा क्षेत्र भजनपुरा में एक मात्र सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रघुबर दयाल जनकल्याण सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, भजनपुरा, डी–ब्लॉक है। यह स्कूल दो पालियों में चलता है जिसमें लगभग दो हजार से ऊपर छात्र–छात्रायें हैं। वर्तमान में भवन निर्माण के चलते यह भजनपुरा थाने के सामने एक पार्क में हस्तानान्तरित कर दिया गया है। जहां ये पोर्टा

केबिन में चल रहा है। इसमें एक प्रधानाचार्य कार्यालय, दो स्टॉफ रूम, तीन प्रयोगशालाएं तथा एक पुस्तकालय निर्मित शिक्षा कार्य के लिए जरूरी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के पत्र संख्या डी.वी. प्राकलन लो.नि.वि. एम. 222.2485, दिनांक 5.09.2014 के अनुसार उक्त को तीन मंजिला सेमी परमानेन्ट स्ट्रक्चर जिसमें 29 कमरे, तीन कार्यालय व दो स्टॉफ रूम, तीन प्रयोगशाला तथा दो शौचालय एवं दो सीढ़ियां बनाने का प्रावधान किया गया था परन्तु लो.नि. वि., दिल्ली सरकार के पत्रांक संख्या डी.वी. प्राकलन लो.नि.वि. एम.–प्राकलन 2222725 दिनांक 24.09.2014 के अनुसार उक्त भवन को दो मंजिला 17 से.मी. परमानेन्ट स्ट्रक्चर जिसमें 17 कमरे, एक स्टॉफ रूम, दो प्रयोगशालाएं, दो शौचालय, दो सीढ़ियां बनाने का प्रावधान किया गया है। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग व अधिकारियों से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि भजनपुरा क्षेत्र में लगभग एक लाख लोगों की आबादी है और विद्यालय में आज भी लगभग दो हजार छात्र–छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो केवल 17 कमरों की इमारत में दो हजार छात्र–छात्रायें किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या व छात्र–छात्राओं की संख्या के चलते मेरा अनुरोध है कि स्कूल भवन का निर्माण ग्राउन्ड प्लस तीन स्थाई निर्माण में बनाया जाए। महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पास ही में चार सौ मीटर की दूरी पर नगर निगम के प्राईमरी स्कूल की बिल्डिंग है और वो भी ग्राउन्ड प्लस तीन ईमारत की है। साथ ही महोदय मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्धित विषय में निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की मेरे साथ एक वार्ता करायी जाए तथा साथ ही स्कूल स्थल का दौरा किया जाए। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री नरेश यादव जी।

Jh ujs'k ;kno % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो नियम 280 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में मेहरौली विधान सभा में एक इम्पार्टटेन्ट रोड है अंधेरिया मोड़ से महिपालपुर के बीच की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अध्यक्ष जी, नवम्बर, 2012 में ये रोड को, रोड बाईन्डिंग के लिए पी.डब्लू.डी. ने इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और इसमें पहले इसकी कोई खास स्टडी नहीं की गयी कि इसमें साइडों में लैण्ड अवलेबल है कि नहीं है। लेकिन इन्होंने जो ऐक्जिस्टिंग रोड है वो 22 मीटर का है और उसको प्रस्तावित चौड़ा करने के लिए 75 मीटर का तय किया। उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट बना लिया गया। उस पर काम चालू कर दिया गया। एक–डेढ़ साल तक काम चला। महोदय जी, उस पर और उसके बाद में वो जहां–जहां जमीन अवलेबल थी वहां–वहां उन्होंने काम किया। इसमें काफी डिस्प्यूट हुए। इसके दोनों तरफ, वसन्तकुंज के सेक्टर ए और सेक्टर डी. लगते हैं। मतलब उसकी चौड़ाई अगर हम 75 मीटर मापते हैं तो दोनों साईडों में जो भी सर्विस लाईन है फ्लैटस की, वहां तक वो टच करता था। स्पेस बचता नहीं था जिसका फ्रन्ट पर फ्लैट है वो भी वहां अन्दर नहीं घुस सकता था। तो अध्यक्ष महोदय जी, ये मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले एक–डेढ़ साल से ये रोड बिल्कुल बन्द पड़ा है। इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसका भी कान्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया गया है। अभी उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और ये बहुत ही इम्पार्टेन्ट रोड है जिसमें कि साकेत, छतरपुर और बदरपुर साईड से सारा ट्रैफिक एयरपोर्ट की

तरफ निकलता है और इसी से आगे एक्सटेन्ड करते हुए अगर कुतुबमीनार जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर फुटओवर ब्रिज की भी मैं बात करूंगा साथ में। वहां पर आये दिन एक्सीडेन्ट हो रहे हैं और फुटओवर ब्रिज का भी एक प्रोजेक्ट पी.डब्लू.डी. का काफी समय से चल रहा था। लेकिन वो कई सालों के बाद भी अभी पूरा नहीं हुआ है जिसकी बहुत अर्जेन्ट जरूरत है। उसमें अगर एवरेज भी लगाये तो महीने में दो–तीन एक्सीडेन्ट जरूर होते हैं, जानें जाती हैं वहां पर। तो इन दोनों के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी इस विधान सभा के काम करवायें जाएं। थैक्यू।

v/;{k egksn; % श्री मोहिन्दर गोयल।

Jh ekfgUnj xks;y % अध्यक्ष जी, धन्यवाद। जो आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र में स्थित एम. सी.डी. कर्मचारियों के स्टॉफ क्वार्टर सेक्टर–4, रोहिणी–1 इनकी जर्जर हालत के बारे में दिलवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर तीन सौ चौरासी फ्लैट हैं जिनमें तकरीबन तीन हजार की आबादी रहती है। इन फ्लैटों की हालत इतनी जर्जर है कि ये लोग हर समय भय की जिन्दगी जी रहे हैं और जिस समय अभी पीछे में 7.2 का भूकम्प आया दिल्ली के अन्दर। मेरी भी हालत ऐसी हो गयी कि वहां से सूचना न आ जाये कि वहां पर ये फ्लैट गिर गये हैं और पूरी की पूरी सरकार को वहां पर जाना न पड़ जाए। इस हिसाब की हालत है और उस भूकम्प के दौरान भी अध्यक्ष जी, उसके पलस्तर झड़ के गिरते रहे और भय की जिन्दगी बनी रही। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये फ्लैट 1991 में एम.सी.डी. कर्मचारियों को दिये गये। परन्तु उसके बाद

यहां पर आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। रिपेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, आज तक सफेदी भी नहीं हुई फ्लैटों के अन्दर। जबकि इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह से चार हजार रुपये प्रतिमाह काटा जाता है और इसी तर्ज के ऊपर निमड़ी कालोनी के अन्दर, रंजीत नगर के अन्दर, संगम पार्क के अन्दर और प्रताप बाग के अन्दर कर्मचारियों को फ्लैटों का मालिकाना हक दे दिया गया है। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों को भी इन फ्लैटों का मालिकाना हक दे दिया जाए। धन्यवाद।

v/;{k egkn; % सदन की कार्रवाई अपराह्न 3.30 तक के लिए स्थगित की जाती है।

¼lnu dh dk;Zokgh pk; dky ds fy, 3-30 cts rd ds fy, LFkfxr dh x;hA½

fo/ks;d dk iqj%LFkkiu

lnu vijkgu 3-30 cts iqu% leor gqvkA

v/;{k egkn; ¼Jh jkefuokl xks;y½ *पीठासीन हुए।*

v/;{k egkn; % सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हो, उससे पहले किसी भी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकालना व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिये बड़ा दुखदायी होता है, पीड़ादायक होता है। सदन मुझे चलाना बहुत

आवश्यक है, जरूरी है। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूं, जगदीश जी से भी प्रार्थना करता हूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैंने इसीलिये सदन की कार्रवाई को स्थगित किया कि मैं उनसे बात करूं। मैंने टेलिफोन भी किया और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं विजेन्द्र जी सदन में आयें। सदन की कार्रवाई में भाग लें। आज बहुत महत्वपूर्ण बिल है। धन्यवाद।

मैं अब श्री मनीष सिसौदिया जी माननीय उपमुख्य मंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं दिल्ली जन लोकपाल बिल विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगे।

mie[; e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि दिल्ली जन लोक पाल विधेयक, 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वह ना कहें।

सदस्यों के हां कहने पर

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

मैं माननीय उपमुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूं इन्ट्रोड्यूस करने से पहले

पुनः एक बार नम्र निवेदन कर रहा हूं नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी कृपया सदन में आ जायें।

अब माननीय उपमुख्य मंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

mie[;e=h dk oDr0;

mie[; e=h % अध्यक्ष महोदय, आपके साथ साथ मैं भी अपने साथियों की ओर से विजेन्द्र गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वह नेता प्रतिपक्ष हैं और उससे गरिमा और बढ़ेगी अगर वह इतने महत्वपूर्ण बिलों के प्रजेन्टेशन में उनकी चर्चा में शरीक होंगे तो इससे नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा और उनकी उपयोगिता मुझे लगता है और बढ़ेगी। इसलिये उनसे मेरा भी निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय इससे पहले कि मैं दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 को सदन में प्रस्तुत करूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये हम सब के लिये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जितने साथी हम यहां बैठे हैं, हम सबके लिये, इस विधानसभा के लिये, पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में बैठे उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिये जिन्होंने 2011 से देश में एक बहुत प्रभावशाली जन लोकपाल लाने का सपना देखा था। जंतर मंतर से उठी वो चिंगारी कैसे पूरे देश में एक आंदोलन में बदली और उस पूरे आंदोलन का चरण शायद आजाद हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली आंदोलन के रूप में हमने रामलीला मैदान में देखा। वह आंदोलन जिस कानून को लाने के लिये हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाते हुए देश के लोगों ने जिस तरह के कानून की मांग की, जिस लोकपाल कानून की मांग की, आज मैं बहुत गर्व के साथ उस कानून को इस दिल्ली विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने में अपने आपको सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं।

गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। मैं आभारी हूं दिल्ली के उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने इस विधानसभा के माध्यम से, इन विधायकों के माध्यम से मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं उस ऐतिहासिक बिल को, बहुप्रतीक्षित बिल को दिल्ली की विधानसभा के पटल पर पहली बार रख सकूं।

अध्यक्ष महोदय, ये बिल भारत की भविष्य की उम्मीदों का बिल है दिल्ली को corruption free बनाने की जो मुहिम दिल्ली के लोगों ने छेड़ी और जिस मुहिम के तहत यहां इस नई राजनीतिक पार्टी के 67 साथियों को भेजा दिल्ली को corruption free बनाने के लिये। इस सरकार के और मैं कहूं इस विधानसभा के शायद किसी भी देश की विधानसभा के लिये दो ऐतिहासिक कदम इस सत्र में हैं। पहला Right to Services Bill यानि की citizen charter को सुनिश्चित करने का बिल इस सदन ने पास किया है और दूसरा दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015 के रूप में मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये वही बिल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वही दस्तावेज है जो 2011 से शुरू हुए आंदोलन के गर्भ से निकला था। अध्यक्ष महोदय, यह बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा में होने वाले corruption की किसी भी घटना की जांच करने के लिये उस पर action लेने के लिये लाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र में corruption की किसी भी घटना की जांच करने के लिये और उस पर एक्शन लेने के लिये ये बिल जाया जा रहा है। corruption का क्या मतलब है corruption की एक बहुत व्यापक और बहुत

अच्छी definition, Prevention of Corruption Act में दी हुई है उस definition के दायरे में राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में जो भी corruption की घटना होगी, जो भी किसी तरह का उसमें एक्शन होगा corruption का तो उस पर जांच करने का और उस पर एक्शन लेने का अधिकार लोकपाल का होगा। ये लोकपाल जो proposed bill है, उस पर लोकपाल एक तीन सदस्यों की बॉडी होगी, जिनमें से एक सदस्य चैयरमैन होंगे।

इस सदन में opposition Head यानि Leader of Opposition इसके सदस्य होंगे तो इस तरह से highly dignified, highly responsible लोगों की चार लोगों की body लोकपाल का selection करेगी। मैं यहां छोटा सा जिक्र अखबार का उस गुमराह करने के प्रयासों का करना चाहता हूं जो इस लोकपाल बिल को लेकर की जा रही है। हमारे बी.जे.पी. के साथी यहां नहीं हैं, लेकिन उनकी तरफ से, बी.जे.पी. के तमाम लोगों की तरफ से बाहर शोर मचाया जा रहा है कि selection बहुत कमजोर कर दिया गया है। selection की process बहुत कमजोर कर दी गई है। selection की जो कमेटी है, उसको कमजोर कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा independent और responsible body और क्या हो सकती है जिसकी चेयर स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट के Chief Justice करेंगे। इसके members के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रति पक्ष, और माननीय सभापति, दिल्ली विधानसभा होंगे। ये लोग अन्दर–बाहर शोर मचा रहे हैं कि इसमें दो eminent members की भी बात कही गई थी। बिल्कुल कही गई थी लेकिन इसी बीच में अभी NJAC यानि National Judicial Accountability Commission से जुड़े मुद्दे पर जब

Supreme Court में चर्चा हुई, वहां भी NJSC judges के Selection के मसले पर भी दो eminent लोग सरकार द्वारा मानित किये जाने का प्रस्ताव था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। वहां पर एक चर्चा में सामने आया कि यह जो दो eminent लोग सरकार नियुक्त करेगी, इससे तो कोई भी कमेटी सरकार की National Judicial Accountability लोगों की कमेटी बन जायेगी। इस कमेटी में भी देखिये एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष और एक independent पक्ष और एक सबसे संविधान की दृष्टि से बहुत ही न्याय पक्ष सर्वसर्वोच्च न्याय पक्ष इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसमें अगर सरकार दो eminent लोगों को डाल देगी तो मुझे लगता है कि ये तो heavily government के side के लोगों की appointed कमेटी हो जायेगी। इसलिये इसको निष्पक्ष बनाने के लिये, selection कमेटी को और प्रभावी बनाने के लिये ताकि वो सरकार के पक्ष में कोई फैसला न दे, सरकार के पक्ष के लोगों की चुने जाने की संभावना खत्म करने के लिये यह फैसला लिया गया। यह लोग शोर मचा रहे हैं कि दो लोग हटा दिये, अरे! उसको डाल देंगे तो selection कमेटी कमजोर हो जायेगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि यह लोग independent selection प्रक्रिया के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से लोकपाल को जिस तरह से नियुक्त करने की प्रक्रिया और strong किया गया और independent बनाया गया वैसे ही लोकपाल को हटाने की जो प्रक्रिया है, भारत के संविधान में Judges हटाने की जो निष्पक्ष प्रक्रिया रखी गई है impeachment द्वारा, वैसी प्रक्रिया द्वारा लोकपाल को हटाना, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है क्योंकि किसी की जांच

लोकपाल इतने independent तरीके से करवायेगा और देश के इतने महत्वपूर्ण मसलों पर जांच करेगा दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण corruption के मसलों पर जांच करेगा तो कोई सत्ता पक्ष में बैठे, या कोई प्रभावशाली लोग उसको हटा नहीं पाये तो इसलिये जरूरी है कि उसको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। उसको हटाने की प्रक्रिया ऐसी हो कि कोई सत्ता पक्ष में बैठा है या कोई अन्य प्रभावशाली लोग उसको हटा न पायें। इसलिए यह तय किया गया है कि हटाने की प्रक्रिया होती है, उस तरह की प्रक्रिया हो। यह बी.जे.पी. के लोग बाहर शोर मचा रहे हैं कि साहब, यह तो हटाने की प्रक्रिया आसान कर दी, अगर विधानसभा हटायेगी तो क्या कहना चाह रहे हैं लोग कि विधानसभा सरकार के अधीन होती है। इन्हें पता नहीं कि संविधान की समझ है कि नहीं है कि विधानसभा सरकार के अधीन होती है या सरकार विधानसभा के अधीन होती है। अगर विधानसभा के पास यह शक्ति है और impeachment की पावर जैसे देश की संसद के पास पावर है, वैसे विधानसभा के पास है। Impeachment इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी आदमी और उसको हटवा दे। Impeachment एक प्रक्रिया है संविधान में सबसे बेहतरीन प्रक्रिया अपनाई गई है जिसको रोकने की Impeachment की, उसको हमने यहां लिया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो लोकपाल होगा, लोकपाल की जो बॉडी होगी उसके पास में investigation की पावर होगी।

यह लोकपाल आम जनता की शिकायत पर, दिल्ली का आम आदमी भी उसको भी शिकायत कर सकेगा यह लोकपाल सुमौटो भी भ्रष्टाचार के किसी मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकेगा। उसपर investi-gation करा सकेगा और

जरूरत पड़े तो सरकार भी शिकायत कर सकती है लोकपाल को कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर जांच कर सकते हैं। उस पर संज्ञान लेकर लोकपाल जांच कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है। यह जांच कराने के लिये लोकपाल का अपना independent investigation wing होगा जिसे लोकपाल नियुक्ति करेगा। लेकिन अगर लोकपाल यह चाहे, लोकपाल की बाडी अगर यह चाहे तो किसी भी सरकार के किसी अन्य अफसर द्वारा भी उसकी जांच करा सकता है या उनकी जांच में मदद ले सकता है। लोकपाल को सिविल कोर्टस की पावर होगी और यह जो investigation है, सबसे बड़ी पीड़ा जो पिछले 2011 से लेकर अब तक बार–बार हमने दोहराई है, आन्दोलन में भी दोहराई कि सबसे बड़ी पीड़ा भ्रष्टाचार के मामलों में यह है कि उनकी वर्षों तक जांच चलती रहती है। जांच पर जांच, जांच पर जांच और जांच कभी पूरी नहीं होती। वर्ष 2011 से लेकर अब तक जो सबसे बड़ी मांग थी कि time bound तरीके से जांच पूरी हो। इस विधान सभा में प्रस्तुत बिल कहता है कि छह महीने में पूरी हो। अधिकतम छह महीने में उसकी जांच पूरी होनी चाहिए और किसी rarest case में अगर किसी मामले में जांच को आगे बढ़ाने की जरूरत भी पड़े तो वो अधिकतम rarest case में, बारह महीने में पूरी होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः तमाम तरह के भ्रष्टाचार की जांच अधिकतम छह महीने में लोकपाल द्वारा, लोकपाल के investigating wing द्वारा पूरी करने का प्रावधान हमने इस बिल में रखा है। जब जांच पूरी हो जायेगी तो लोकपाल का अपना एक independent prosecution wing होगा।

आज सुबह अखबार में मैं पढ़ रहा था। अखबार के लोग भी कुछ

गलतफहमी फैला रहे हैं। आज मैं बिल प्रस्तुत कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि लोकपाल का अपना prosecution wing होगा और बी.जे.पी. के लोग भी कह रहे हैं कि prosecution wing हटा दिया, सरकार prosecute करेगी, सरकार का जो prosecution wing होता है, वो लोकपाल उससे prosecution करायेगा। इस बिल में लिखा है कि लोकपाल का अपना prosecution wing होगा और यह लोकपाल के sanction करने पर काम करेगा। लोकपाल जब किसी केस को prosecution sanction कर देंगे तो छह महीने के अन्दर–अन्दर यहां भी time bound तरीके से, क्योंकि time bound जांच, time bound मुकदमा, समयबद्ध सीमा में जांच होनी चाहिए और समयबद्ध सीमा में मुकदमा पूरा होना चाहिए। यह लोकपाल की सबसे बड़ी ताकत थी, लोकपाल आन्दोलन में जिसकी हम demand कर रहे थे। तो यहां भी time bound तरीके से prosecution होगा छह महीने में और लोकपाल के पास पावर होगी कि अगर वो ये पाता है कि करप्शन से कमाए गए पैसे से किसी corrupt public servant ने assets इकट्ठे किए हैं तो वो उन assets को confiscate कर सकेगा, उनको एटैच कर सकेगा, ये लोकपाल के पास पावर है। करप्शन में शामिल पब्लिक सर्वेंट को सस्पैंड या ट्रांसफर करने की भी पावर लोकपाल के पास होगी और जैसा मैंने कहा कि sanction करेगा, prosecution sanction लोकपाल करेगा। छह महीने में prosecution पूरा होगा। इसके लिए उतनी अदालतों की संख्या की जरूरत होगी। लोकपाल समय–समय पर समीक्षा करके सरकार के संज्ञान में ये बात लाएगा कि इतने केसिस के लिए इतने prosecution के केसिस हैं तो छह महीने में time bound तरीके से इनको पूरा करने के

लिए इतने कोर्टस की आवश्यकता है, उतनी संख्या में कोर्टस बनाए जाएंगे ताकि हर एक prosecution अधिकतम छह महीने में पूरा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, सजा, अधिकतम सजा इस लोकपाल में, लोकपाल कानून में आजीवन कारावास तक की रखी गई है, भ्रष्टाचार के मामले में तो छह महीने से दस साल तक की सजा का प्रावधान है लेकिन साथ–साथ अधिकतम आजीवन कारावास की भी सजा है और साथ–साथ जुर्माना भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप दस साल सजा काटो, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, दस साल सजा काटो, बाद में वापस आ जाओ और उस करोड़ों रुपए को आप इंज्वाय करो। इन केसिज में तय होगा, हम इसमें एमेंडमेंट कर रहे हैं। इसमें जोड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के किसी भी एक्शन से सरकारी खजाने को जितना नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान से यानि कि जनता के खजाने को, जितना जनता को नुकसान भ्रष्टाचार के किसी एक्शन ने पहुंचाया है, उससे पांच गुणा तक की राशि उससे वसूल की जाएगी, जिसने भ्रष्टाचार किया है और एक चीज और महत्वपूर्ण इसमें है कि आम तौर पर ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को सरकार में, संविधान में प्रक्रियाओं के तहत चुने गए हों या नियुक्त किए गए हों, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी ऊंची होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, उनको और अधिक जिम्मेदार प्रस्तुत होना चाहिए। ये कानून उनको और अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण clause लेकर आ रहा है कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को अगर करप्शन में शामिल पाया जाता है तो उनकी सजा कठोर–से–कठोरतम की तरफ बढ़ती रहे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर आप बैठे हो, उतनी जिम्मेदारी से आपको ईमानदारी से काम करना होगा। अगर

आप ऊंचे जिम्मेदारी भरे पदों पर बैठे तो आपकी सजा सामान्य किसी व्यक्ति को मिलने वाली सजा से ज्यादा होगी। इसमें क्योंकि अब सरकारें प्राइवेट–पार्टनरशिप में प्राइवेट कंपनिज के साथ में मिलकर काम करती है और आमतौर पर करप्शन के जो बड़े केसिज हैं, वहां कहीं न कहीं ऐसे मामलों में ही आते हैं तो अगर किसी निजी कंपनी को भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, भ्रष्टाचार के beneficiaries में पाया जाता है तो वहां उनके पदाधिकारियों को भी सजा का इसमें प्रावधान है।

एक और महत्वपूर्ण चीज कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, सबसे ज्यादा खतरा उनको रहता है। कौन उठाए आवाज? इसीलिए इस कानून में, इस बिल में प्रावधान है whistle blower protection का। लोकपाल के पास ये अधिकार होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश देने और व्यवस्था करवाने का लोकपाल के पास अधिकार होगा और सुरक्षा सिर्फ physical की नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि कोई उसको मारे नहीं, कोई उसको पीटे नहीं बल्कि उसका अगर कोई administrative harassment के चांसिज भी हैं तो उसको administrative harassment से बचाने का भी प्रावधान लोकपाल के अधिकारों में है और whistle blower की जान को अगर खतरा हो तो उसकी पहचान उजागर होने से अगर उसकी जान को खतरा हो तो उसकी पहचान छिपाए जाने की जिम्मेदारी भी लोकपाल की होगी, लोकपाल ये सुनिश्चित करवाएगा।

अगर कोई false complaint होती है क्योंकि ये भी बात हम लगातार करते रहे हैं जब से लोकपाल की बात करनी शुरू की है, ये भी बात उठती थी, false complaint के केस में, false complaint पाए जाने पर complainant को भी सजा का प्रावधान है।

जो मूल रूप से इस बिल में इतनी ही चीजें हैं, बाकी मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य इसको बहुत ध्यान से पढ़े और इस पर जब चर्चा होगी तो इस चर्चा में बहुत constructive सहयोग दें जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे भी request करता हूं कि 1968 से ये देश एक बहुत प्रभावशाली लोकपाल बिल का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकारें भी लाई, अलग–अलग राज्य में भी लाए। अलग–अलग उसमें प्रावधान रहें लेकिन इतना effective लोकपाल मेरी जानकारी में, मेरी समझ में पहली बार किसी विधान सभा के समक्ष आया है। बहुत दिन से इंतजार हो रहा है करप्शन के खिलाफ एक प्रभावशाली कानून का।

फिर से मैं दोहराता हूं कि रिश्वतखोरी के खिलाफ क्योंकि करप्शन का एक पहलू वो भी है, रिश्वतखोरी के खिलाफ, आम आदमी का काम करने में, सर्विसिज देने में रिश्वतखोरी जो चलती थी, उसके खिलाफ एक बहुत सख्त कानून ये विधान सभा पास कर चुकी है। ये कानून भी इस विधान सभा से होकर निकलेगा। दोनों कानून मिलकर, मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को बहुत जल्द साकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बिल के इस परिचय के बाद मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं

सदन की अनुमति से दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–16) को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

v/;{k egkn; % अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी (विधेयक 2015) (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–9) पर विचार किया जाए। इस पर एक बार वोटिंग हो जाए।

(सदन में सामूहिक नारेबाजी)

fo/k;dk ij fopkj ,o ppk

mi&e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 20 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–9) पर विचार किया जाए।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे,

जो इसके विरोध में है वो ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

एजुकेशन पर ही दूसरा बिल, अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 20 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–10) पर विचार किया जाए।

mi&e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 20 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–10) पर विचार किया जाए।

v/;{k egksn; % अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे,

जो इसके विरोध में है वो ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

इसी एजुकेशन पर तीसरा बिल अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 27 नवंबर, 2015 को सदन में पुरःस्थापित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–15) पर विचार किया जाए।

mi&e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 27 नवंबर,

2015 को सदन में पुरःस्थापित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–15) पर विचार किया जाए।

v/;{k egkn; % अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे,

जो इसके विरोध में है वो ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब सदस्य इन विधेयक पर तीनों विधेयकों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। सर्व प्रथम श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी। मैं एक बार पुनः नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूं कृपया सदन में आ जाएं। महत्वपूर्ण तीनों विधेयक हैं उन पर चर्चा आरम्भ हो रही है। टिप्पणी नहीं प्लीज। हां चलिए।

Jh jktsUnz iky xkSre % धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आज बेहद खुश गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। particular इस सेशन पर। इस पूरे सेशन में अभी तक जितने बिल आए हैं और जो आज चर्चा के लिए रखे गए हैं, जो पीछे पास हुए हैं। वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बिल हैं और आज तो वैसे भी एक ऐतिहासिक दिन है कि दिल्ली के अन्दर नाना प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए दिल्ली की गरीब जनता को कई–कई दिनों तक

सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। आज दिल्ली सरकार ने ई–पोर्टल चालू करके दिल्ली की जनता को विभिन्न गजेटेड आफिसर्स के एम.एल.एज. के दफ्तर में धक्के खाने से बचा कर जो आज लागू किया है उसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा और साथ ही आज जो जन लोक पाल बिल सदन के सामने रखा है, जो एजुकेशन पर तीन बिल रखे हैं। ये तीनों ही बिल अपने आप में बड़े ऐतिहासिक हैं। इस पर मैं अपनी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय उप–मुख्य मंत्री का बहुत–बहुत धन्यवाद करूंगा और पूरी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दिल्ली की जनता जो अहम समस्याएं थीं, उन सब समस्याओं को केन्द्रित करते हुए ये बिल इस सदन में पेश किए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में जो पीछे केन्द्रीय सरकार के द्वारा शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव किये गए थे, उसमें बदलाव की वजह से दिल्ली के साथ–साथ पूरे देश की जो गरीब जनता है, उनको जिस नुकसान को उठाना पड़ा, उस नुकसान की भरपाई तो सम्भव नहीं है, लेकिन उस नुकसान को रोकने की जो शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है, उसके लिए मैं दिल्ली की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि गरीब लोगों के बच्चे उनकी पूंजी होते हैं और जितने भी पब्लिक स्कूल्स है, अगर मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल की फीस के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में एक बच्चे की फीस लगभग 6–7 हजार रुपये महीना एवरेज निकलता है। अगर एक परिवार में दो बच्चे भी हों तो एक परिवार का केवल बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और वो भी मध्यम बल्कि लोअर मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल का खर्चा लगभग दो

बच्चों का 10 से 12–14 हजार महीने का आता है। दिल्ली की लगभग 80 प्रतिशत जनता ऐसी है, जिसके पूरे परिवार की महीने की इन्कम 8 से 10 हजार रुपया है तो 8–10 हजार रुपया में दिल्ली की 80 प्रतिशत जनता अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकती। वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन पीछे मैं comprehensive चर्चा करना चाहूंगा तीनों पर क्योंकि तीनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबों ने ये सोच कर कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ लिखकर कुछ काबिल बनेंगे और हमारे परिवार को सम्भालेंगे। कुछ परिवार तरक्की करेगा। ये सोचकर पेरेंटस बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। चूंकि वो पब्लिक स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन पिछले दिनों no detention policy के चलते उसका इतना भयावह असर हुआ कि बच्चे एक एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते और वो लगातार आठवीं क्लास तक पास होते चले जाते हैं। सरकार की एजूकेशन की ये पॉलिसी है कि जो बच्चा नौवीं में दो बार फेल हो जाता है उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और जो बच्चा एक एप्लीकेशन sick leave लिखना नहीं जानता no detention policy के चलते जो बच्चा नौवीं क्लास में पहुंच गया, वो बच्चा दो दफा फेल होता है उसके बाद स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। आप आज देख रहे हैं दिल्ली में आए दिन चैन स्नैचिंग की वारदातें, मोबाइल स्नेचिंग की वारदातें होती हैं। आखिर कौन हैं वो बच्चे? जब बच्चा नौवीं क्लास में दो बार फेल होता है और किसी काबिल नहीं बन पाता और उम्र के साथ–साथ उसके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे उसके मां–बाप उठाने में सक्षम नहीं हैं, तो बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जिसका खामियाजा वो बच्चा खुद उठाता है, उसके पेरेंटस उठाते हैं और केवल वो ही नहीं दिल्ली की पूरी जनता उठाती है और

आज ये जो बिल लाए गए हैं, इन बिलों में अगर आप देखेंगे तो कई तरह की खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैसे पब्लिक स्कूल्स के अन्दर जब मैं अपने बच्चे की पे स्लिप देखता हूं, जब एडमिशन कराते हैं, जब next class में बच्चा जाता है तो उसकी जो फीस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसमें एक लिया जाता है annual charge। यानि की 2–3 हजार रुपये तो annual charge के नाम पर मिनिमम निचले दर्जे के पब्लिक स्कूल इस नाम पर वसूल लेते हैं, annual charge के नाम पर। उसके बाद जो मासिक फीस के साथ–साथ डवल्पमेंट फीस के नाम पर per month अलग से लेते हैं। तीसरा किताबों की एक पूरी फेरहिस्त दी जाती है। अगर उन्हीं किताबों को बाजार से जाकर खरीदें, तो जितना हम उन पब्लिक स्कूलों को पे करते हैं उससे कम से कम 40 प्रतिशत कम दाम पर बाजार से खरीद सकते हैं। इस को पूरे को अगर जोड़ दिया जाए तो जो स्कूल no profit no loss पर चलने चाहिए उन स्कूल के मालिकों को अब से 25–30 साल पहले की हालत देखिए और आज की हालत देखिए इससे अन्तर पता लगेगा कि किस तरह गरीब जनता के खून को ये पब्लिक स्कूल मालिक चूस रहे हैं। इस पर लगाम लगाने का जो हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि अब सरकार उसकी पूरी इन्कम को ऑडिट कराएगी। किस–किस प्रकार से ये पब्लिक स्कूल इन्कम करते हैं और total income को ऑडिट कराके फिर यह भी सुनिश्चित करेगी कि कम से कम 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा वो इन्कम अध्यापकों की तनख्वाह पर दिया जाए। अब इस तरह का देखने में आया कि बहुत से सारे पब्लिक स्कूल इस तरह के हैं, जहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक को 3–4 हजार 5 हजार 6 हजार सेलरी मिलती है।

यानि की भारत के संविधान की खुले आम धज्जियां उठाई जा रही हैं। जो Minimum Wages Act है, उसकी पूरी अवहेलना हो रही है। जिस अध्यापक को 4–5 हजार रुपया महीना मिलेगा, वो क्या स्कूल में पढ़ाएगा? किस मन से स्कूल में पढ़ाएगा? उसकी मन की स्थिति क्या होगी और बच्चों का क्या भविष्य बनाएगा? तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माननीय मुख्य मंत्री, उप–मंत्री जी का कि उन्होंने इन सब बारीकियों को इन तीनों बिल को बनाते हुए इन सब बारीकियों को नजर में रखा। कम से कम इन एक्ट से के बन जाने से एक Minimum Wages तो अध्यापकों को मिलेगा। Minimum Wages अध्यापक का चूंकि स्किलड में आ जाता है तो Minimum उनको 12 से 14 हजार रुपये तो मिलेंगे। जिन अध्यापकों को 4–5 हजार रुपये मिल रहे थे आज अगर उनको 14 हजार रुपये मिलते हैं वो खुशी–खुशी बच्चों को बड़े अच्छे मन से पढ़ाएंगे और बच्चों का अच्छा भविष्य बनेगा। और जो स्कूल वर्षों से लूट मचा रहे थे, जो डवल्पमेंट फी के नाम पर महीने में वसूलने के साथ–साथ एनुअल फी अलग से वसूलते थे, वो उसमें कमी करेंगे और कानून की एक बाध्यता हो जाएगी। पहली एक बहुत बड़ी समस्या थी एजूकेशन एक्ट में कि जो स्कूल मैनेजमेंट इस तरह की कानून की अवहेलना करती थी, उनके punishment का कोई बड़ा क्लॉज एक्ट के अंदर नहीं था। स्कूल की मान्यता रद्द करने के सिवाय मैनेजमेंट को सजा का प्रावधान नहीं था और सरकार इस पशोपेश में रहती थी कि अगर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी तो जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा।

लेकिन आज माननीय शिक्षा मंत्री बखूबी उस बात पर नजर रखते हुए

जो अमेन्डमैन्ट लेकर आये हैं और बिल में जो मैनेजमैन्ट के लिए सजा का प्रावधान किया है और पेनल्टी का भी जो क्लॉज उसमें डाला है, उससे मैनेजमैन्ट में निस्सन्देह यह भय पैदा होगा कि अगर वह दिल्ली की जनता को लूटने का काम करेंगे, मनचाही फीस वसूली का काम करेंगे तो आज उनकी सदस्यता नहीं, उनकी रिकॉगनिशन नहीं, बल्कि उनको जेल भेजा जायेगा। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब ये नो डिटेन्शन पॉलिसी खत्म हो जायेगी, तो बच्चों को सीखने को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी पीछे स्टार्ड क्वेश्चन का जवाब दिया कि अब स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेस भी लेकर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल डेवलपमैन्ट सैन्टर भी खोल रहे हैं। यानी वो हर प्रयास कर रहे हैं जिससे दिल्ली का युवा बेरोजगार न रहे। स्कूल छोड़ने के बाद उसका भविष्य बर्बाद न हो, बल्कि बच्चा कुछ सीख कर निकलेगा और अपनी स्कूलिंग पूरी होने से पहले दो रास्ते उसके सामने हैं। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, तो वह एकेडेमिक आगे बढ़ेगा या अच्छी हॉयर एजुकेशन में जायेगा और अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो स्किल डेवलपमैन्ट में जायेगा और हाथ का दस्तकार बनेगा, अपना घर चलाने लायक कमायेगा। मैं समझता हूं कि इससे दिल्ली की जनता का बहुत भला होने वाला है। इससे पुलिस की भी मदद होने वाली है, क्राइम रेट रुक जायेगा। जो बच्चे युवावस्था में आकर रोजगार न मिलने की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ते थे, वे बच्चे

अब अपने हाथ के दस्तकार बनेंगे, अपना रोजगार स्वयं पैदा करेंगे। अपने घर का खर्च भी चलायेंगे और दिल्ली को साफ और स्वच्छ भी बनायेंगे। मैं ऐसे अवसर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी सरकार का, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और बाकी सदस्यों को मौका दूंगा कि वे इस मुद्दे को आगे बढ़ायें और ये बहुत अच्छा अवसर है और सैलिब्रेट करने का अवसर है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री प्रवीण कुमार जी।

Jh çoh.k dqekj % अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि इतिहास में पहली बार इतना मजबूत और सशक्त लोकपाल बिल किसी सरकार ने पेश किया है। इसके लिए मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का और अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक और व्यक्ति हैं, जिनका मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं कि जिस लड़ाई को जिसने इतनी ताकत से खड़ा किया कि जिसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया और आज उन्हीं के कारण हम यहां पर जन लोकपाल बिल पेश कर पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्ना हजारे जी का आज मैं तहेदिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रेरणा दी और आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया।

अध्यक्ष महोदय, आज ये हमारा सैशन बहुत ही ऐतिहासिक है। क्योंकि एक तरफ तो इस सैशन में हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक सशक्त बिल इस सदन में पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा

देने के लिए तीन ऐसे बिल, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसे होगा कि इसी सैशन में तीन बिल एक ही विभाग, एजुकेशन विभाग के पास होंगे। इसलिए तहेदिल से शुक्रगुजार हैं सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहां पर दिन रात मेहनत करने वाले और इन बिलों को और इस सिस्टम को सुचारु दिशा दिखाने वाले डायरेक्टर महोदय और सैक्रेटरी महोदय का और इस एजुकेशन सिस्टम के सारे डिपार्टमैन्ट का कि उन्होंने एजुकेशन को इस मुकाम तक पहुंचाया और जिस तरीके का बिल हमने इस सदन में आज रखा है कि अभी तक प्राइवेट स्कूल्स...कई सारे प्राइवेट स्कूलस तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कई स्कूलों ने शिक्षा को ही बिजनिस बना लिया था। आज के समय में कई बार ऐसे सुनने को भी मिलता है कि शिक्षा और हेल्थ एक बहुत एग्रेसिव बिजनिस है, एक बहुत प्रोग्रेसिव बिजनिस है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा बिजनिस बन गई तो उसमें कभी हम बच्चों को सुदृढ़ शिक्षा नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जो आज यहां पर बिल टेबल किया है और यहां पर जो बिल पर चर्चा हो रही है, कई सारे प्राइवेट स्कूल बिलों में धांधली भी करते हैं। बहुत सारी डोनेशन कलैक्ट करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब एडमिशन का सीजन आता है...थोड़े दिन बाद फिर एडमिशन का सीजन आयेगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स तीन तीन लाख रु. तक डोनेशन मांगते हैं। मैंने भी एम.बी.ए. किया है। तीन लाख रु. मेरे भी नहीं लगे, लेकिन नर्सरी एडमिशन के लिए तीन लाख रु. लगना बहुत शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में अमेन्डमैन्ट करके और ये बिल लाकर सरकार ने दिखा दिया है कि अब किसी भी तरह की कोताही शिक्षा में नहीं बरती जायेगी।

अगर कोई भी स्कूल अपने इस तरह के डाक्यूमैन्टस या बिलों में धांधली करता है तो उसे जेल का रास्ता देखना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 में लिखा गया था, मुझे लगता है कि 1973 में उस समय कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं रहा होगा। सारे सरकारी स्कूल ही रहे होंगे, इक्का दुक्का को छोड़कर। अध्यक्ष महोदय, तब से लेकर अभी तक प्राइवेट स्कूलों पर नकैल कसने के लिए कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया गया। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है कई सारे राजनेता और पार्टी ऐसी हैं, जिनके खुद के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जिसके कारण वे कभी भी अपनी गर्दन शिकंजे में नहीं फंसाना चाहेंगे और यही कारण है कि अभी तक कोई भी कठोर बिल शिक्षा के लिए नहीं बनाया गया और मुझे गर्व है इस सरकार पर कि उसने इस तरह का बिल लाने की हिम्मत की। क्योंकि हमारी किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से कोई सांठ–गांठ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं तहेदिल से इस सरकार का शुक्रगुजार हूं और साथी सदस्यों का भी कि इस बिल को उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक और चीज है जो इस बिल में की गयी है। सरकार सिर्फ एक एजेन्सी बनकर रह गयी थी। या तो वह किसी स्कूल को रिकॉगनाइज कर देती थी या डि–रिकॉगनाइज कर देती थी। इससे ज्यादा बहुत पावर्स थी नहीं। किसी कारण से अगर सरकार किसी स्कूल को डि–रिकॉगनाइज करती है तो उस स्कूल के चार–पांच सौ बच्चों का करियर दांव पर लग जाता है। इसलिए डि–रिकॉगनाइज करना भी बहुत कठिन प्रक्रिया थी। तो सरकार सिर्फ

एक एजेन्सी बन कर रह गयी थी जिसमें कि वह रिकॉगनाइज कर सकती थी या डि–रिकॉगनाइज कर सकती थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है जो कि बहुत सराहनीय और बहुत इम्पोर्टेण्ट है कि कोई भी अगर बिल में, दस्तावेजों में या एकान्टस में धांधलेबाजी करता है या किसी भी गलत गतिविधियों में कोई स्कूल लिप्त पाया जाता है, तो उसे जेल तक की सजा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इससे धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार करने वालों के दिल में बहुत बड़ा भय पैदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपको कुछ दिन पहले का एक वाकया भी बता देता हूं। एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें कि इसी तरह की नाजायज फीस वसूली जा रही थी। कुछ लोगों ने आकर हमारे पास शिकायत की और हमने उस पर एक्शन लेकर विभाग को सूचित किया। विभाग ने कई लेबल की मीटिंग की और उस स्कूल को मानना पड़ा कि उनकी गलत तरीके से फीस बढ़ाई गई और उनको फीस वापस देनी पड़ी। इसके लिए मैं डायरेक्टर महोदया को ध न्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का कदम उन्होंने उठाया और इसको इतनी सख्ती से लागू किया। अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में एक और बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल जिसने कि अब्दुल कलाम साहब के एक वाक्य को सच साबित कर दिया कि the best brain of the nation can found at the last benches of the class room और कुछ दिन पहले, लगभग दो साल पहले सैन्टर गवर्नमैन्ट के एक मिनिस्टर द्वारा नो डिटेन्शल पॉलिसी 9वीं क्लास तक चालू की गयी थी। लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि इस सैशन में ही 135 बच्चे मेरे पास आये एक ही स्कूल के, एक ही क्लास के और वे सारे बच्चे नवीं क्लास में

फेल हो गये थे। उससे हमें ये पता लगता है कि नो डिटेन्शन पॉलिसी...हालांकि हम इसके विरोध में नहीं हैं कि नो डिटेन्शन पॉलिसी, हम इसके विरोध में नहीं है लेकिन इसको लागू करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। पहले उसकी नींव तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस नो डिटेन्शन पॉलिसी को लागू कर सकते हैं और जो कि इस बिल में यहां प्रावधान किया गया है कि नो डिटेन्शन पॉलिसी तीसरी क्लास तक ही लागू की जाएगी। यह सरकार का बहुत सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है अध्यक्ष महोदय, इस नो डिटेन्शन पॉलिसी का वो हश्र हो गया कि इस समय पर कि मानो फाइटर पायलट आपने खेतों में उतार दिया है। फाइटर पायलट खेतों में भी उतर सकता है, बशर्ते उसके लिए रन–वे चाहिए होगा। यहां पर पहले हमें रन–वे बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने प्लेन को लैंड कर पायेंगे, तो यहां पर तीसरी क्लास तक जो नो डिटेन्शन पॉलिसी का प्रावधान रखा गया है, यह अति सराहनीय है।

अध्यक्ष महोदय, एक और जो बिल इस सरकार ने पास किया है, जिसमें कि कई सारे टीचर्स हमारे पास पहले भी आते हैं और आकर अपनी समस्या बताते हैं कि हमें 25 हजार रुपये के चैक पर साइन करा दिया जाता है लेकिन हाथ में सिर्फ दस हजार आते हैं, पैसे वापस कर लिए जाते हैं या सेल्फ का चैक कटवा लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पहले की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, जिसके कारण कई सारे अच्छे स्कूल भी और कई सारे भ्रष्ट स्कूल भी इस तरीके की चीजें फॉलो कर रहे थे और इसमें काफी सारी धांधली निहित थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस समय जो इस बिल में अमेंडमेंट किया है, यह अपने आप में तारीफ है और कई सारे ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने इसका बहुत अच्छे तरीके

से स्वागत किया है। मैं कल ही एक स्कूल के एन्युअल फंक्शन में गया था, अपनी विधान सभा के और जो ईमानदार स्कूल होगा, जो अपना सिस्टम ईमानदारी से चलाता होगा, वो इन सारे बिलों का स्वागत करेगा, यह मेरा दावा है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझसे कहा कि पहले की कोई भी सरकार अगर ये सारे बिल लाकर दे देती, ऑन द रिकार्ड मैं बता देता हूं देव समाज स्कूल है वो; उन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले अगर कोई भी सरकार ये सारे बिल ला देती तो हमें बहुत ज्यादा धांधली करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने यहां पर एक आयाम क्रिएट किया हुआ है। आयाम बनाया हुआ है कि अब लोगों को और स्कूलों को और भी ज्यादा easiest, easy to do your book accounts और वास्तविक में जो–जो स्कूल ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं वो सारे सुचारू रूप से अपने काम कर पायेंगे और इसी के साथ इस सरकार को तहेदिल से शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि जिस तरीके के इस सेशन में वो सारे बिल ला रहे हैं, इससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी और आम आदमी सशक्त होगा, मजबूत होगा। शुक्रिया।

v/;{k egkn; % नितिन त्यागी जी।

दर्शकदीर्घा में बैठे जितने भी बंधु हैं, कोई क्लेपिंग, कोई हूपिंग नहीं करेंगे। ध्यान रखिये। नितिन त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इन तीन महत्वपूर्ण बिलों बोलने का मौका दिया। अपनी बात रखने से पहले मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा। मेरी दो बेटी है, एक 10th में पढ़ती है और एक 6th में पढ़ती है, उनके लिए साइंस की एक ट्यूटर है, जो कि एक स्कूल में पढ़ाती है कोंडली

विधान सभा में वो स्कूल पड़ता है। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझसे, जब यह 7th Pay Commission आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हो सकता है कि मेरी जॉब चली जाये क्योंकि 7th Pay Commission आया है, तो सैलरी बढ़ जायेगी। अभी 47000 रुपये का चैक मुझे मिलता है, जिसमें 22,000 मुझे वापस करने पड़ते हैं और जिनकी भी सैलरी वो रिटेन कर रहे हैं 25000 के ऊपर होगी उन सब को स्कूल बाहर निकाल रहा है। स्कूल 47000 का चैक देता है, वाइट में सैलरी देता है और next day 22000 रुपये कैश में वापस ले लेता है टीचर्स से। it is extremely shameful act, actually जो स्कूलों की आदत बन गई है। देखिये, दो वजह हो सकती है इसकी या तो पैसे को ब्लैक करने का, पैसे को बचाने का, खर्चा ज्यादा दिखाने का या ऐसा भी हो सकता है कि जो लॉ है कि गवर्नमेंट स्कूल से मैचिंग सैलरीज पे करनी पड़ेगी टीचर्स को। उसकी वजह से कई सारे स्कूल ऐसे हैं हमारे यहां पर, अधिकांश स्कूल ऐसे हैं बल्कि दिल्ली में, मैं कहूंगा, जो कि इतनी फीस नहीं लेते हैं more than 70% of the schools are such जिसमें 700, 800 रुपये तक की फीस हाती है और 40–50 बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, तो उतनी फीस एक क्लास के बच्चों से जो जितनी इकट्ठी होती है उतनी तक भी एक सैलरी को पूरा नहीं कर सकती है। कई स्कूलों की मजबूरी भी बन जाती है, कुछ स्कूल तो in fact बंद भी हुए हैं इसके चलते। यह बहुत जरूरी है कि फीस का जो स्ट्रक्चर है, वो इस हिसाब से ना हो कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया वो ही मिले या सैलरी का स्ट्रक्चर पर जो फैसिलिटीज स्कूल दे रहा है, जिस तरीके की फीस स्कूल ले रहा है, उसके ऊपर सैलरी का स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाये तो उससे इस तरीके की धांधली को रोका जा सकेगा, पर अल्टीमेटली स्कूल के जो एकाउंट्स हैं उनको तो वेरिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे

स्कूल हैं, जो कभी कोठियों में चालू हुए थे, मैं नाम भी जानता हूं कई सारे स्कूलों का, एक कोठी किराये पर लेकर चालू हुए थे, लाइसेंस किसी तरीके से हो गया और उसके बाद बढ़ते–बढ़ते आज उनकी कई ब्रांचेज हो चुकी है। बहुत बड़े स्कूल बन चुके हैं। यह अधिकांश स्कूल ट्रस्ट के नाम पर चलते हैं, पर unfortunately किसी भी तरीके का ट्रस्ट छोड़ा नहीं है उन स्कूलों ने। In fact काफी हद तक ट्रस्ट लोगों का तोड़ा है उन स्कूलों ने। इस ट्रस्ट को बरकरार करने के लिए, स्कूलों को, इस शिष्य–गुरु परंपरा को बनाये रखने के लिए, जब हम ही घर में बात करेंगे कि ये स्कूल वाले बहुत लूटते हैं तो हमारे बच्चे उस स्कूल की क्या इज्जत करेंगे, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक की क्या इज्जत करेंगे। इस माहौल को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत जरूरत है। यह हमारे स्कूल्स लूटना बंद कर दें। कुछ तो अंकुश लगाना चाहिए उसके लिए जो verification of accounts and refund in excess fee Bill, 2015 लाया गया है, सर मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। एक बच्चों के एडमिशन, जब पहली बार एम.एल.ए. बना, इस बार पहली बार एम.एल.ए. बना तो पता चला कि कितने लोग, कितनी भीड़ में, कितनी लाइन लगा कर आते हैं, सिर्फ यह कि आप एक चिट्ठी दे दीजिए, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल में हो जाएगा, सरकारी स्कूल में कराने के लिए आ जाते हैं। मेरे ख्याल से Right to Education में तो हर बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। नहीं साहब, Right to education में हो तो जाएगा पर वो जितनी फीस मांग रहे हैं, जितना वो डोनेशन मांग रहे हैं, जितना कैपिटेशन मांग रहे हैं वो कहां से लायेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली कहां से लाख रुपये, दो लाख रुपये या 50 हजार रुपये

भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए दे दें, जिसका कोई लेखा–जोखा न हो, एक सैलरीड आदमी कहां से दे देगा? किस तरीके से उसको वो फी पे करेगा, वो ही अभी उसको नहीं पता। वो कहां से लाकर लाखों रुपये दे देगा और वो क्यूं दे देगा, किस वजह से? क्या स्कूल एजुकेशन को बेच रहे हैं और अगर बेच रहे हैं तो वो तो धंधा है। एजुकेशन तो सर्विस होनी चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए और ऐसा बिजनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो लोगों को लूटें। सर, इसके ऊपर एक अंकुश लगना चाहिए। दूसरा, जितने भी लोग, जिस भी स्कूल की फीस को एफोर्ड कर सकते हैं वो बिना किसी टेस्ट के, एक छोटा बच्चा तीन, चार, पांच साल का, छह साल का जो स्कूल में जाता है उसका आप क्या टेस्ट लेंगे। आप दो मिनट में उससे बात करके क्या टेस्ट ले सकते हैं और कोई टेस्ट नहीं है वो सिर्फ यह टेस्ट है उसके मां और बाप का यह टेस्ट लेने का कि ये लोग कैपिटेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं होता वहां। सिर्फ यह देखते हैं फार्म में भरवाते हैं कि गाड़ी कौन सी है इसकी। क्या करते हैं, इनकी एन्युअल इंकम कितनी है, इस तरीके की इनफार्मेशन की क्या जरूरत है। until & unless आपको कैपिटेशन लेना है और बात–बात पर किसी न किसी चीज के लिए डोनेशन लेना है। उसमें आज कल यह भी लिखवाने लगे हैं पेरेंट्स से कि कभी भी स्कूल को जरूरत पड़ेगी तो कोई सहायता आप देंगे कि नहीं देंगे, किसी भी रूप में। यह भी रुकना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के ऊपर जो एकदम एंट्री लेवल पर राइट टू एजुकेशन के हिसाब से चलना चाहिए और कैपिटेशन फी या डोनेशन किसी भी तरीके का वो abolish होना चाहिए, रद्द होना चाहिए,

खत्म होना चाहिए और एक बहुत अहम चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे यह मैंने आपको बताया, अभी जब मैं एम.एल.ए. बना, तो पता चला कि इतने एडमिशन कराने पड़ते हैं, तभी यह पता चला कि एक क्लास 9th आती है सरकारी स्कूलों में, जिसमें अचानक बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, ये सर, कुछ साल पहले शुरू हुई, रिसेंटली जब इसके बारे में पता किया तो पता चला कि हर साल इसकी फेल्योर प्रसैन्टेज बढ़ती जा रही है, हालत यह है 9th क्लास की, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो क्लास रूम्स है they are bursting from, they seems trying to accommodate the children this hundreds of children in the class, eighty to ninety in as average, the crisis, the class size is such as which can accommodate 30 to 35 and maximum 40 students and more than 80 students are made to sit in a class because of no detention policy, it is very strange, somehow the focus of students and parents and the teachers is suddenly awaken when the student reaches class 9th before that even the teachers, students and the parents they seem to be sleeping, it might have been a good policy, it might actually have been a good policy, if the preparation was right, the preparation was not fair, the teacher did not know how to evaluate the students they just let them go, the parents did not know, the students did not know what the process was, they thought till 8th, it is okey to not study, not come up to the standard, nobody cares the student studying or not whether the teacher is teaching or

not. What actually has happened is an eye opener, it is actually an eye opener, look at the percentage Sir, this is genuinely alarming, it is a cause of concern and it is a very tough situation right now and now it ask for tough steps, tough steps needs to be taken to save the generation, this no detention policy las proudly taken our education system a decade back. With so many failures so many students failed in class 9th, it has actually taken us a decade back. I think it should be amended for the education pride. The infrastructure is there, teachers are there.

गौतम साहब ने बताया था किताबों के बारे में और स्कूल ड्रेस जो स्कूलों में मिलते हैं। उनकी जो प्राइसेस होती है, वो इतनी हाई होती है अगर वो अलग से खरीदी जाएं तो बहुत दिक्कत होती है। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं जो स्कूल गये हैं और जिनके एक–दो साल, तीन साल छोटे या बड़े भाई–बहन रहे होंगे हम सबने एक दूसरे की किताबें यूज की होंगी। आज हर साल करिकुलम चेंज होता है। हर साल नई किताबें आती हैं। हर साल का धंधा बन गया है। ऐसा नहीं है कि युनिफार्म आप बाहर से नहीं खरीद सकते। स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी। ये स्कूल के बिजनेस के साथ–साथ किताबों का बिजनेस और कपड़ों का बिजनेस भी हो गया है। इसके बारे में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय उप–मुख्यमंत्री साहब से कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत स्ट्रॉग बिल आ रहे हैं। बहुत हिस्टोरिक बिल आ रहे हैं। मैं इनका पूरे दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया ¼**Jherh cnuk dekjh**½ *पीठासीन हुईं।*

v/;{k egkn;k % श्री सोमनाथ भारती जी।

Jh lkeukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आज का दिन, इन्फेक्ट ये इस सरकार में जब से हम आए हैं हर दिन ऐतिहासिक दिन है। आज जिस तरह से हमारे साथियों ने शिक्षा के ऊपर अपने विचार रखे। एक बात तो साफ है दिख रही है कि आने वाले दिनों में शिक्षा में जो क्रांति घटेगी और उसके कारण जो दिल्ली में और देश में जो लहर पैदा होगी उसकी गूंज दूर–दूर तक सुनाई देगी। जो तीनों बिल डिप्टी–चीफ मिनिस्टर ने सदन में रखे, मैं उन तीनों का भरपूर समर्थन करता हूं। नितिन भाई ने जो बात रखी कि किस तरह से शिक्षणों का शोषण हो रहा है। उन्हें बीस हजार, पच्चीस हजार, चालीस हजार पर साइन कराते हैं और उन्हें वापस देना पड़ता है अपनी सेलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। आज जब ये सदन एकमत से एजुकेशन में रिफॉर्मस के बिल को जब पास कर रहा है तो कई नये ऐसे आयाम शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं जो पूर्णतया यह सिद्ध करता है कि ये सरकार जो करने आई है, वो करके रहेगी और ऐसा कुछ करके रहेगी कि आने वाले समय में बहुत समय तक इनके योगदान को किन अक्षरों में लिखा जाएगा, ये समय बताएगा। मुझे चूंकि आज हम सबके लिए बहुत ही इमोशनल दिन था। जब ये माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने लोकपाल का बिल पेश किया हम सबने। मुझे याद है जब हम सब पहली बार आए थे इस सदन में और पेश करने के बाद ही जो हंगामा हुआ था। पेश करने भी नहीं दिया गया था। आज बड़ा दुख लगा जब माननीय स्पीकर महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय के बार–बार कहने के बावजूद विपक्ष सदन में आया नहीं। अच्छा होता

अगर इस ऐतिहासिक डिस्कशन में वो हिस्सा लेते। मैं सदन के लिए आपके जरिए एक वो कथन जो हम सबके चहेते महात्मा गांधी जी ने 1921 में कहा था लंदन में। कहा था :

that does not finish the picture to have the education of this. I say without fear of my figures being challenged successfully but today, India is more illiterate today than it was fifty years ago." He said this in 1921.

1921 में उन्होंने ये बात कही थी। उस वक्त कह रहे थे कि:

India is more illiterate than it was fifty years ago because the British Administrators when they came to India, instread of taking hold of things as they were, began to root them out, scratched the swap and left the root by that and that beautiful tree perished. Schools were not good enough for the British Administrator, so, he came out with his programme. Every School must have so much of periphery. Why I am saying this is because it is very important.

हम सबकी एक मानसिक स्थिति बन गई है कि जो बड़े–बड़े स्कूल हैं जैसे डी.पी.एस. और इस तरह के और कई स्कूल हैं। एयरकंडीशन कमरे हैं। स्वीमिंग पूल हैं। क्या–क्या नहीं हैं। स्कूल फाइव स्टार ज्यादा हैं शिक्षा कम हो रही है। उन्होंने कहा कि so much peripheral which British education system has envision ये 1921 में कह रहे हैं। that is not possible in our country and I list the last line of his great lecture of unanimously he says:

I defy anybody fulfill programme of compulsory primary education of these massess in side of the century.

1930 में कहा है ये this very country of mine is ill-evil to sustain expensive method of education, State could revive the old village school master and dot company village school both for boys and girls.

जिन महात्मा गांधी में हम सब अपनी आस्था रखते हैं आज तक दुख है कि किसी भी सरकार ने उनके इन विचारों का पालन नहीं किया। इन विचारों पर कोई काम नहीं किया। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया, उस वक्त मैं कोर्ट में भी इसके खिलाफ गया था। Right to Education Act, No Detention Policy is a sure shot process to make the entire country illiterate. आज मैं अपनी सरकार को मुबारक बाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे कोर्ट से नहीं मिल पाया आज इस सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री के बिल के कारण आज ये सम्भव हो पाया। क्योंकि first generation learner और second generation learner में बहुत फर्क है जिस किसी भी घर में एक भी जनरेसन अगर पढ़ लिख गया उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई वहां शामिल हो जाती है, लेकिन पहला generation ही पढ़ लिखा नहीं है, पढ़ाई–लिखाई का महत्ता ही नहीं समझा, जिन्होंने उसका स्वाद ही नहीं चखा वहां पे No detention poly एक poison की तरह है, एक जहर की तरह है। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं कि घंटों argument करने के बाद जो मुझे कोर्ट से नहीं मिला वो आज सदन से मिल गया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

आज जो दो और इसमें बड़े प्यारे तरीके से insertion की गई, सैक्शन 8 का पार्ट–3 ensure achievement of/appropriate learning never by every child. Beautiful! मैं जब तीनों बिल पढ़ रहा था तो मुझे याद आया 2010 का वाक्या जब हम, मैं और अरविंद भाई एक बार किसी मामले में मिलकर बात कर रहे थे। शिक्षा में क्रांति के बगैर देश का उत्थान विकास मिथ्या होगा। हम बातें तो कर लेंगे विकास का, विकास का, विकास का। लेकिन जब तक शिक्षा में आखिरी आदमी की शिक्षा की चिंता नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज ये तीनों बिल यह दर्शाते हैं कि जो हम उस वक्त सोच रहे थे, जो मानस में हम सोच रहे थे, जब हमने बातचीत की, आज वो होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत बड़ा गर्व का दिन है। आज एक जो सच्चाई चूंकि बाहर कुछ लोग मिथ्या फैला रहे हैं कि जी ये जो क्लॉज हटाया है कि सरकारी स्कूलों के वेतन के बराबर प्राईवेट स्कूलों के टीचरों का वेतन हो, एक realty एक वास्तविकता से रूबरू कराया है इस बिल ने। हम सबको मालूम है नितिन भाई ने भी बताया, गौतम जी ने भी बताया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया उस दिन, किस तरह से शिक्षकों का शौषण हो रहा है इसके नाम पे, किस तरह से काला–बाजारी चल रही है, किस तरह से करप्शन चल रहा है। हर तरह के स्कूल है हम सब मानते हैं और हम सब चाहते हैं कि क्वालिटी एजूकेशन एक ही स्टैंडर्ड का सबको मिल पाये लेकिन क्या इस वक्त ऐसा हो रहा है? क्या सिर्फ ये बनावटी बातें हैं इस सत्यता को माना 'The Beautiful Tree' एक बड़ी अच्छी किताब है एजूकेशन पर लिखी हुई उसमें सारी बातों का लेखा–जोखा है, कि किस तरह से बजट स्कूल्स जैसे कि माननीय उप मुख्यमंत्री

जी ने भी कहा कई ऐसे स्कूल हैं जहां 200 रुपये, 250 रुपया, 150 रुपया गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी एजूकेशन देना चाहता है, अब वो कहां से एफोर्ड कर पाएगा 7000–10000 हजार रुपये प्रति महीने का। अब जो–जो स्कूल कम फीस चार्ज कर रहे हैं, वो नैचूरल सी बात है, बड़े realistic बात है कि वो कहां से दे पाएंगे 40000 रुपये तनख्वाह तो ये पहली बार एक सत्यता से रूबरू कराने का जो प्रयास हमारी सरकार ने किया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वो कम है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और socialism meets capitalism बड़ा अच्छा नमूना सरकार ने पेश किया है कि सबको quality education मिल पाए और स्कूलों को independence हों अपनी फीस निर्धारित करने में। इस excellent experiment of making meets socialism with capitalism will go down in the history in golden words, I congratulate Sir.

चूंकि एजूकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है मैं तो कभी–कभी बातें करता हूं तो कहता हूं कि भई जब हम एम.एल.ए. बने तो सर, हमारी ये responsibility है कि हमारे पास जितने सरकारी स्कूल हैं, सारे हमारे हैं। उन पर काम करना है, तो एक पॉलीटीकल लीडर जो एम.एल.ए. बन जाता है, जो एम.पी. बन जाता है, जो काउंसलर बन जाता है, उसको क्या जरूरत है एक स्कूल खोलने की अगर फ्यूचर में हम इसपे कुछ कर पाएं कि एक आदमी जो एम.एल.ए. बन गया, उसके लिए जो इतने सारे स्कूल्स हैं वो उसके लिए ही है। जितने भी स्कूलस उसकी विधान सभा क्षेत्र में है, वो सारे उसी के हैं, अगर उस पर काम करे और प्राइवेट स्कूल अगर खोल ले तो conflict of interest

हो गया। एक जो कदम हमारी सरकार ने लिया है, इससे बहुत सारे लोगों को, जो एजूकेशन को एक बिजनेस की तरह लेते हैं, ट्रीट करते हैं, उन्हें निराशा हाथ लगेगी और ये बहुत अच्छा कदम है। आज जो financial proprietary की बात कही और जिस तरह से profiteering को discourage किया गया, वो काबिले तारीफ है। punishment हमारे उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बेहतरीन तरीके से उस दिन बताया कि किस तरह से de-recognization solution नहीं है derecognize कर देंगे तो बच्चे कहां जाएंगे? तो ये एक प्राब्लम के बाद दूसरी प्राब्लम create हो जाएगी इस कारण से imprisonment तक का प्रावधान करना ये एक बहुत सराहनीय कदम है और बहुत ही वैलकम स्टैप है, पूरा दिल्ली, पूरा देश आपके इस काम के लिए आपको धन्यवाद करेगा। इसमें कैपिटेशन फी और screening जैसा नितिन भाई बता रहे थे बच्चों का टैस्ट कम होता है, उनके मां–बाप का ज्यादा होता है कि भई उनके हुलिया को देख के कि भई कितना दे पाएगा ये इंसान, कैसे sustain कर पाएगा जब–जब डिमांड जाएगी तो वो आ पाएगा की नहीं आ पाएगा, तो वो फैसला होता है। बगैर क्वालिटी एजूकेशन के देश तरक्की नहीं कर सकता। आज ये तीनों बिल ये बता रहा है। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लोग कौन–सी ऐसी सरकार है जिसने अपने एजूकेशन बजट को डबल किया है, ये उस वक्त दिल्ली में जो स्थिति थी हमारे आने से पहले 1.6 परसेंट of its GSDP and 15% of the State Budget was only expenditure on education. पहली बार हमारी सरकार ने 106 परसेंट की बढ़ोत्तरी की और बताया कि असली इन्वैस्टमैंट तो यहां करना है, यहां से मिलेगा डिवीडैंट आपको। चूंकि आजकल हम सब तुलना कर रहे हैं कि कौन–कौन अपने मैन्युफैस्टो को पूरा कर रहा है तो मैं पढ़ के बता देता

हूं विपक्ष के साथियों को तो हमारे मैन्युफैस्टो में लिखा था we will increase spending on education from the present level वो हमने कर दिया, दूसरा हमने लिखा था we will monitor private school fees by making fees structure and accounts transparent on online. We will publish the class strength, vacancy, admission process online for every school. ये भी पूरा कर दिया, तो आपने प्राइवेट स्कूल्स को एक ओपन opponent दिया है कि आप अपनी फी खुद निर्धारित कर सकते हैं, ये अभी तो लग रहा हो कि वो मनमानी करेंगे लेकिन जिस तरह की auditing इसमें प्रावधान किया गया है और जो आम आदमी की सरकार है, ये जो कहती है वो करती है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग–अलग नहीं होते, जब इन्होंने कह दिया, ऑडिट होगा कि ऑडिट इस कदर से होगा कि वो कोई और सरकार किसी भी ऑडिट को इतनी seriousness से नहीं लिया होगा, लोगों के हाथ कापेंगे पैर कापेंगे अगर वो गलती करेंगे, बड़ा अच्छा प्रावधान किया 50% of the fees are going to be utilized in the salary of the teachers. congratulation to you, Sir, this is an excellent step. Teachers will feel in fact I do not understand पूरे दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम टीचर्स के विरोध में हैं। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीचर्स की सैलरी के ऊपर एक तरह से सरकार अपना बयान दे रही है कि वो दिन लद गए जब चार–पांच हजार पे आप किसी से नौकरी करा लोगे, बहुत–बहुत मुबारक वाद। मैं आखिरी बात रखना चाहूंगा ये जो कैपिटेशन फी और screening बहुत बड़ा प्रोसस है इसको चूंकि होता ये था कि हम सब नर्सरी स्कूल में बच्चों को डालते हैं और बड़े interesting तरीके से कर दिया गया था कि क्लास

वन से शुरू करना है, तो आपने तो खुली छूट दे दी कि भई आप करो। अब तक ऐसे कानून बनते रहे, कानून भी बन गया, जनता को बेवकूफ भी बना दिया और काम भी नहीं हुआ। तो पहली बार नर्सरी schools, in fact, ये कह देना कि entry level पे आपने एक बहुत बड़ा ये कार्य किया है, तो मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने विजनरी entry level के साथ उसे लागू किया है। आपको परमात्मा और शक्ति दे और कई बिल लाएं की ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर जाएं की दिल्ली में तो होगा ही होगा, देश में हर जगह यही डिमांड आए की आम आदमी पार्टी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn;k % श्री सत्येन्द्र जैन।

Jh lR;Un tlu % अध्यक्ष महोदया, मैं छोटी सी बस बहुत सी छोटी–छोटी बातें करना चाहूंगा इस बिल के बारे में। एक बार एक दुकान के आगे बहुत झगड़ा चल रहा था, बहुत बड़ा झगड़ा। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। पता लगा कि भई क्या झगड़ा हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे आये थे और वहां पर लिखा था। यहां पर चश्मे बनाये जाते हैं जिससे साफ–साफ पढ़ा जा सकता है। तो सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने चश्मा लगवा लिया पढ़ तो नहीं पा रहे हैं। हुआ क्या कि सारे के सारे नौवीं क्लास के बच्चे थे। नौवीं क्लास में आके कोई पढ़ना चाहता नहीं था। चश्मा लगवाने से कैसे पढ़ेंगे। चश्मा लगवा लिया पढ़ नहीं पाते। अब ये देखियेगा, हमारे दिल्ली के अन्दर, सदन के अन्दर बैठे हुए काफी सारे लोग जिसमें ऑफिसर्स भी हैं, सदस्य भी हैं, मैं खुद भी हूं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले 25–30 वर्षों के अन्दर शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिराया गया। गिरा नहीं है, मैं कह

रहा हूं गिराया गया। जैसे सोमनाथ जी ने कहा था कि अभी, अगर एक नेता अपना स्कूल खोलेगा तो उसका स्कूल तभी तो चलेगा जब सरकारी स्कूल बन्द होगा या उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो पिछले 25–30 सालों के अन्दर जान बूझकर दिल्ली के शिक्षा के स्तर को खत्म किया गया। जब से नेताओं ने शिक्षा के अन्दर पदार्पण किया। ये शिक्षा जो है अपने आप से बर्बाद नहीं हुई। इसको किया गया और नेताओं ने किया। हम कहते हैं राईट टू एजूकेशन। बिल्कुल ठीक है। राइट टू एजूकेशन होना चाहिए पर राइट टू सर्टिफिकेट तो नहीं होना चाहिए। आठवीं पास सर्टिफिकेट आप आठवीं पास कर लीजिए, सर्टिफिकेट ले जाइयेगा। परन्तु सर्टिफिकेट का करेंगे क्या जब आता कुछ नहीं। तो उस दुकान पर जाके झगड़ा ही करेंगे कि पढ़ना नहीं आया। अगर हम किसी को भोजन दें, कुछ घण्टे के बाद फिर से भूख लगेगी। पैसा दें, ज्यादा पैसा दें तो दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो भी खत्म हो जायेगा। सिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सारे जीवन काम आएगी। शिक्षा के ऊपर अगर हम एक रुपया भी लगायेंगे तो उस जनरेशन को नहीं आने वाली जनरेशन को भी फायदा मिलेगा। जैसे माननीय सोमनाथ जी ने कहा है कि अगर एक जनरेशन पहली बार जब पढ़ती है। उस परिवार के लिए सोचियेगा जिस परिवार में पहले पढ़ चुके हैं तो शायद अपने बच्चों को पढ़ाने पर शायद ध्यान उनका है। जिस रास्ते से परिवार में कोई गया ही नहीं, पता ही नहीं पढ़ाई क्या होती है तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जितने भी तीनों के तीनों बिल, मनीष जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो तीन बिल उन्होंने रखे हैं, वो तीनों के तीनों पाथ ब्रेकिंग हैं। ईमानदारी से रखे गये हैं।

हम लोग ऐसा नहीं कि कहें कुछ और करें कुछ। जैसे कि एक एक्जाम्पल है। राजेन्द्र पाल जी ने भी उस तरफ इंगित किया था। एक स्कूल के अन्दर तीन सौ से छह सौ रुपये, पांच सौ रुपये। हमने कानून बनाया कि वन एण्ड टेन का रेशियो होना चाहिए। दस बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा जी। तो छह सौ रुपया इनटू दस। छः हजार इकट्ठे होते हैं। तो आप टीचर को चालीस हजार की तनख्वाह कैसे दे सकते हैं, बता दीजिए? इसका मतलब हम कानून थ्योरिटिकल बनाते हैं, प्रेक्टिकल नहीं बनाते। हम कहते हैं जी कागजों के अन्दर सौ में से सौ नम्बर आ गये और सच्चाई के अन्दर सौ में से दो चलेगा। इस सरकार ने इसको बदलने की कोशिश की है। हम कहते हैं कि कागजों में भी सौ में से अस्सी नम्बर लेके आयेंगे। एक्चूअल में अस्सी लेकर आयेंगे। ऐसा न हो कि कागजों में तो सौ में सौ और असलियत में सौ में से दो। इसको हम बदलना चाहते हैं। तो ये चीज चेन्ज करना चाहते हैं और मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। आज का दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकपाल बिल को सदन में पेश किया गया। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं पेश करने से पहले एक पत्र न आ जाये, जैसे पिछली बार आया था कि आप पेश ही नहीं कर सकते हैं। इस बात की खुशी है। हमारे विजेन्द्र जी तो खैर अभी नहीं हैं फिर भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो नये–नये बहाने बनाकर इसको रोकने की कोशिश न करें। इससे जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं हो कि पहले तो याद कर रहे थे कि लोकपाल बिल को लेकर आइये, लेके आईयेगा। आज मनीष भाई ले आये हैं और पता लगा जैसे यहां से निकले हैं और पीछे जा के कोई साजिश बना रहे हों कि इसको

पास नहीं होने देना। ये जनता माफ नहीं करेगी जो लोग इस जन लोकपाल बिल को पास नहीं होने देंगे। धन्यवाद।

v/;{k egkn;k % श्री सौरभ भारद्वाज जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt % धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अभी मंत्री जी से पहले सोमनाथ जी ने कहा कि कल मैं इस तरीके की बन्डी पहन के आया था और सोमनाथ जी कुछ और पहन के आये थे। फिर आज ये पहन के आ गये हैं और मैं कुछ पहन के आया हूं। पत्रकार पूछ रहे हैं एक ही है क्या? बदल–बदल के आते हैं। तो कल हम दोनों अपनी–अपनी बन्डियां पहन के आयेंगे ताकि लोगों को पता चले कि इतनी भी गरीबी नहीं है। तनख्वाह कम है लेकिन गरीबी इतनी नहीं है। देखिए विधायकों के, हमारे बहुत मित्र बैठे हैं विधायक ही है सारे। हम सबके काम करने के सीजन होते हैं। सब विधायक इस बात को मानेंगे। गर्मियों में पानी की कमी का सीजन होता है। उसको मैं बोलता हूं घड़े वाला सीजन। जब मटके विधायकों के ऑफिस के बाहर फोड़े जाते हैं, घरों के बाहर मटकियां फोड़ी जाती हैं कि पानी कम है। कपिल मिश्रा जी को और उससे पहले मनीष सिसौदिया जी को कि वो पानी के मंत्री रहे, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सीजन कम से कम मेरे यहां बिना मटके के बीता। इसका हार्दिक धन्यवाद। कुम्हारों के मटके नहीं बिके इस बार क्योंकि पीने के लिए तो कम इस्तेमाल होते थे, विधायकों के दफ्तर के बाहर ज्यादा फोड़े जाते थे। अच्छा आपका था क्या? तो उस सीजन के बाद इस तरीके के सीजन चलते हैं जैसे फेस्टिवल का सीजन आता है तो विधायक ज्यादातर माता की चौकी में जाते हैं। जागरणों में जाते हैं। किसी भी विधायक से पूछ

लो तो वो कहता है कि आज मुझे जागरण में जाना है। और अभी–अभी देखो फेस्टिवल का सीजन खत्म हो गया अब शादी का सीजन शुरू हो गया। तो हर विधायक के पास कार्ड होते हैं शादी के और ये लिफाफे होते हैं क्योंकि यहां से सीधा आप किसी शादी में जाते हैं और मैं आपको बताऊं। इस सीजन के बाद, शादियों के सीजन के बाद जो सबसे खतरनाक सीजन आने वाला है, वो स्कूल एडमिशन का सीजन। वो मेरे सारे विधायक भाई जानते हैं और स्कूल एडमिशन के अन्दर इतनी विडम्बना होती है कि सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे आप स्कूलों की खासकर प्राईवेट स्कूलों की मनमानी को रोक सकें। मैं कई बार मिनिस्टर साहब से बात करता था कि साहब ये गड़बड़ी कर रहा है, इसका क्या करें। तो ले दे के एक ही सलाह होती थी स्कूलों के लिए कि उनको डी–रिकोगनाईज्ड कर दो और डी–रिकोगनिशन के अन्दर दो–ढाई हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरे बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल नहीं सकते कि सबका भविष्य खराब कर दें स्कूल की एक गलती के कारण। तो मैं सुन रहा था कि ऐसा कोई कानून आ रहा है, मगर पिछली कोई सरकार इस चीज के लिए कानून नहीं लायी थी। मुझे इस कानून के अन्दर जो सबसे अच्छा प्रावधान मिला, जो लगा वो ये है कि इस बार हमने ग्रेडेड पनिशमेन्ट का सिस्टम यहां पर लाये हैं तो एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के पास ऐसी कई सारी पनिशमेन्ट होंगी। जैसे कि उनको वार्निंग दे दी जाए, उनके ऊपर पचास हजार से लेके पचास लाख तक का फाईन लगा दिया जाए। उनके एक सेशन के एक साल के एडमिशन को सस्पेन्ड कर दिया जाए कि इस साल आप बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते। तो स्कूल को काफी लास होगा उससे और जो सबसे आखिरी पनिशमेन्ट है, उसके अन्दर जेल का प्रावधान कर दिया।

इमप्रिजनमेन्ट का तीन साल तक की सजा दी जा सकती है। ये प्रावधान हो गया और लास्ट जो शुरू से था कि आप स्कूल को डि–रिकोगनाईज्ड कर सकते हैं, वो है। जो स्कूल एडेड स्कूल हैं, उनकी एड बन्द करने का भी प्रावधान इस बार किया गया है। तो मुझे लगता है सरकार के पास जो हम कहते थे टूथलेस बिल था, पहले जो था अब सरकार के पास और डिपार्टमेन्ट के पास दांत आ गये हैं कि आप स्कूलों को गलत काम करने से रोक सकते हैं और सरकार के पास ये पावर है कि स्कूलों को गलत काम करने से हम इस साल से रोकेंगे तो। सरकार को, हमारे उप मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई इस चीज की। जब कोर्ट, उच्च न्यायालय बार–बार किसी चीज के लिए दिशानिर्देश देने लगे या बार–बार किसी प्रोसिजर के अन्दर हस्तक्षेप करने लगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है वो कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है या उसने ऐसे कानून नहीं बनाये जिसके कारण बार–बार हाईकोर्ट के अन्दर कोई आदमी जाता है या कोई पैरेन्टस की एसोसिएशन जाती है और बार–बार हाईकोर्ट नर्सरी एडमिशन से पहले दखल देता है और कहता है कि भई, इसको इस तरह से करो। इस बार के एडमिशन सस्पेंड कर रहे हैं, इसको इस तरह से करो, ये टाइम टेबल है, ये सब कुछ है। इसका मतलब यह था कि कानून के अंदर बहुत सारे ऐसे loopholes थे या कानून के अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां थीं, जिस कारण बार–बार हाई कोर्ट को इसके अंदर दखल देना पड़ता था। मैं समझता हूं मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए in fact classically अगर हम कहें तो ज्यादातर सब लोगों के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी का सबब होता था कि अगर उनकी बच्ची या बच्चा तीन साल का है या तीन साल से थोड़ा ऊपर

है तो पूरे दिन यही बात होती थी कि आज मुझे इतने स्कूलों में जाना है, वहां एडमिशन फार्म भरने हैं। उस स्कूल की लिस्ट आने वाली है। उसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। अरे भई, तुम्हारी कोई जान पहचान है? अरे यार! किसी तरीके से हमारा एडमिशन करा दो। नेताओं के धक्के खाते थे। हमारे पास चिट्ठी लिखवाने आते हैं लोग मंत्रियों के पास जाते हैं और बहुत ही डिग्रेडिंग होता है किसी भी आदमी के लिये किसी भी सामान्य आदमी के लिये कि उसको किसी नेता के पास एप्रोच लगाने के लिये जाना पड़ता है। क्योंकि जब एक आदमी पूरी तरह से सक्षम है। फीस देने के लिये तैयार है उसका बेटा अच्छा खासा बच्चा है तो वो क्यों किसी नेता के पास जाये चिट्ठी लिखवाये या कोई फीस दे या ये कहे कि डोनेशन फीस दे और इस तरीके की जो डिग्रेडिंग होती थी सोसाइटी के ओवरऑल इस कानून से उस पर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगेगी। जैसा कि सोमनाथ जी ने कहा कि सरकार के पास दो तरीके थे कि किस तरीके से आप स्कूलों की फीस के ऊपर नियंत्रण रख सकें। एक तरीका ये था कि आप प्राइवेट स्कूलों के लिये हर प्राइवेट स्कूल के लिये आप निर्धारित करें कि प्राइवेट स्कूल इतनी फीस ले सकते हैं। मुझे लगता है दिल्ली जैसे metropolitan city के लिये या कॉस्मोपॉलिटन सिटी के लिये जहां पर ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी एअरकण्डीशण्ड बसें हैं, एअरकण्डीशण्ड स्कूल हैं, खाना भी देते हैं, दोपहर का भी देते हैं, ब्रेकफास्ट भी देते हैं। सारी की सारी फैसिलिटीज देते हैं। एक तरफ तो ऐसे स्कूल हैं बिल्कुल पॉश और एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जो किसी छोटी सी जेजे कलस्टर में चल रहे हैं और वो प्राइवेट स्कूल हैं और वो सिर्फ आप अपने बच्चे भेज दें, पांच घंटे मिनिमम वो उनको पढ़ा देंगे और उनको भेज देंगे तो सरकार के

लिए ऐसा पूरा का पूरा ढांचा तैयार करना और सरकार के लिए हर स्कूल के लिए ये निर्धारित करना कि आप इतनी फीस लेंगे, आप इतनी फीस लेंगे, यह एक असंभव कार्य है और मुझे लगता है कि ये एक ओवर गवर्नेंस हो जायेगी। जिसे कहते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमैन्ट कर रही है। हरेक चीज में सरकार दखलअंदाजी करना चाहती है। हर चीज को सरकार मैनेज करना चाह रही है। मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को, खास कर हमारे जैसे लिबरल देशों की सरकार को इस तरीके की माइक्रोमैनेजमैन्ट से इस तरीके की ओवर गवर्नेन्स से बचना चाहिये और हमारी सरकार इस चीज के लिये बधाई की पात्र है क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कोई भी मंत्री होता है, कोई भी सरकार होती है उसके अंदर इसकी तरफ एक खिंचाव होता है कि क्यों न मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूं। क्यों न मैं इनके गले पर अपना शिकंजा लगा लूं कि जो मैं कहूंगा, जो सरकार कहेगी वैसी ही फीस आपको रखनी ही पड़ेगी तो इस खिंचाव को इस एट्रेक्शन को आपने अपने अंदर रोका और आपने कहा और यह तय किया कि स्कूलों की फीस सरकार नियंत्रित नहीं करेगी। मगर स्कूलों के खातों की जांच सरकार हर साल करायेगी। ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि जैसे हिंदी में कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये वो कदम हैं। बहुत ज्यादा मेरे दिल में इस चीज के लिये सराहना है कि हर साल हर स्कूल की fees structure का उनके सारे के सारे एकान्ट्स का ऑडिट एक कमेटी करेगी। मैं चाहता हूं हमारे सारे विधायक इस चीज को ध्यान से सुनें क्योंकि आपको कल को ये बात पेरेंटस को बतानी होगी। अपने क्षेत्र में आप लोग ये बतायें। क्योंकि मीडिया के माध्यम से इन चीजों की चर्चा इतनी नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिये थी। आप लोग अपने

क्षेत्रों में जायें और बतायें कि सरकार एक ऐसी कमेटी बना रही है जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट के रिटायर्ड जज करेंगे उसके अंदर एक चार्टेड एकाउन्टेन्ट उसका मेम्बर होगा जो अपने एडीशनल सेक्रेटरी होते हैं। ऐडीशनल डायरेक्टर हैं दिल्ली सरकार के वो शायद उसके अंदर Member Secretary होंगे और वो संस्था हर साल हर स्कूल के एकाउन्ट्स को चैक करेगी, ऑडिट करेगी। अब जब स्कूल के एकाउन्ट्स सरकार के पास आ जायेंगे तो सरकार को मालूम है कि इस स्कूल ने फीस के नाम से कितना पैसा लोगों से इकट्ठा किया। इस स्कूल ने सैलरी के रूप में कितना पैसा अध्यापकों को दिया तो आपके पास गुणा भाग घटा करने के बाद ये पता चल जायेगा कौन सा स्कूल कितना फायदा कमा रहा है और जो जो स्कूल बहुत ज्यादा अंधा पैसा कमा रहे हैं प्रोफिटियरिंग के अंदर एंगेज हैं सरकार उनके ऊपर लगाम कसेगी कि भई आप इतने करोड़ों रुपये शिक्षा की इण्डस्ट्री के अंदर नहीं कमा सकते अगर आपको करोड़ों रुपये कमाने हैं तो आप make in India में जाओ। अगर आपको make in India में जाना है make in Delhi में जाना है तो आपको पैसे कमाने की इजाजत नहीं है सिर्फ आप एक वाजिब पैसा कमा सकते हो। मोदी से मिलो अगर अंधाधुंध पैसा कमाना है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है तो मैं दोबारा से सरकार को इस चीज के लिये बधाई दूंगा जो टीचर्स की सैलरी की बात बार बार आ रही है, मुझे लगता है कि कुछ लोग जान बूझकर इस चीज के लिये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं टी. वी. चैनल पर बहस कर रहा था और बड़े जाने माने शिक्षा के एक्टिविस्ट हैं। वो मेरे साथ थे वहां पर और उन्होंने मुझसे कहा कि भई, पहले ये कानून था कि हर किसी टीचर को चाहे वह प्राइवेट स्कूल के हों चाहे वह किसी भी स्कूल

के हों, एडिड के हों उनको सरकारी टीचरों के बराबर सैलरी मिलेगी। आप लोग इसको समझिये। मैंने उनसे पूछा कि आप इस वक्त कैमरे में हैं सारी दुनिया आपको देख रही है क्या आप कैमरे पर बता सकते हैं क्या आप अपनी क्रेडिबिल्टी को दांव पर लगा के कह सकते हैं कि हर स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल के बराबर फीस मिल रही है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उनको दोबारा पूछा। ब्रेक के बाद मैंने कहा सर आपकी बहुत क्रेडिबिल्टी है आप हाई कोर्ट के अंदर बार बार कह रहे हैं। मैं इतने केस लड़ा हूं, इतने केस लड़ा हूं। आप खुद अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही बता दो आप खुद अपनी तरफ से एक मोटा मोटा आंकड़ा बता दो कि कितने परसेंट प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के बराबर टीचरों को तनख्वाह मिलती है। बहुत पुश करने के बाद बोला उन्होंने कि पचास परसैंट स्कूलों में तो उन्होंने खुद ये बात मान ली कि पचास परसैंट स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी सरकारी स्कूलों के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है तो फिर तो आप पूरी की पूरी जो अपनी बहस है वो पूरी की पूरी एक हिपोक्रिटिकल बहस चला रहे हैं। जब आप को खुद मालूम है ये सच्चाई प्राइवेट स्कूलों के अंदर तनख्वाह सरकारी स्कूलों के बराबर नहीं मिलती। नितिन भाई ने बताया, सोमनाथ भारती ने बताया और हम सब लोग जानते हैं हम सबके परिवार में मुझे लगता है कोई ना कोई आदमी होगा या महिला होगी जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचर होगी सब लोग ये बतायेंगे या तो सरकारी स्कूल से बहुत कम तनख्वाह है उनकी या उनको चैक से सरकारी स्कूल जितनी तनख्वाह मिलती है और बाद में उनको कैश में वापस लौटानी पड़ती है और इसके बहाने स्कूल और ज्यादा प्राफिट कमाते हैं क्योंकि आप देखिये अगर पचास हजार रुपये चैक में किसी को पैसे दिये और बाद में तीस हजार रुपये उससे कैश से ले

लिये तो स्कूल को तो दोहरा फायदा हो गया एक तो स्कूल ने अपने खर्चे में दिखा दिया कि मेरे पचास हजार रुपये खर्च हो गये और दूसरा उसको तीस हजार रुपये का फायदा भी हो गया जो उसका पूरा का पूरा ब्लैक मनी है, पूरा का पूरा प्रोफिट है तो मैं ये बात कहूंगा कि अब तक सरकार के अंदर एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया था मंत्री जी ने institutionalization of corruption मतलब आपने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा था। सरकार ने अपने कानूनों में ये मान रखा था कि करप्शन होगी मगर एक शतुरमुर्ग की तरह एक हिपोक्रिटिकल की तरह हम लोग ये बात कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं, इनको सरकारी स्कूलों जितनी तनख्वाह मिले और ठीक ऐसा ही जब पिछले साल हमारी सरकार बनी थी, हमने राशन की दुकानों में भी देखा कि एक किलो राशन में मुझे लगता है शायद दस पैसे या तीस पैसे रुपये का तीस पैसे का हम उनको margin money देते थे। बहुत सारे राशन वाले लोग आते थे और वो बोलते थे साहब कैलकुलेशन करके देख लो इतने पैसों में तो अब दुकान का किराया भी नहीं दे सकते तो सरकार ये कैसी मानती है कि हम लोगों को राशन भी बांट देंगे, किराये भी दे देंगे, अपने आदमी को तनख्वाह भी दे देंगे और प्रोफिट भी कमा लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिछले साल सरकार ने उस मार्जन मनी को बढ़ा के सत्तर पैसे किया। ठीक उसी सिद्धांत पर हमारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूट्र्स हैं सरकार में सरकारी वकील होते हैं आप मानेंगे उनको इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि उतनी कम तनख्वाह में किसी का घर नहीं चल सकता तो सरकार ये बात मान के बैठी थी। सरकार यह बात मान कर चलती थी कि सरकारी वकील कहीं न कहीं से पैसा कमा लेते हैं। मैं सदन में ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि कहां से कमाते हैं और

कहां से कमा सकते हैं। सब नहीं कमाते होंगे। मगर कहीं न कहीं सरकार यह सोचती है कि पिछली सरकारों के समय जैसे हमारे मंत्री, हमारे विधायक 12000 रुपये में भी बड़ी–बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और 12000 रुपये तनख्वाह में भी 11000 रुपये माता की चौकी में दे देते हैं ऐसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहीं न कहीं से पैसों का इन्तजाम करते होंगे तो उनको तनख्वाह देने की क्या जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी सरकार का कि पहली बार सरकार सोच सीधी कर रही है। सरकार पहली बार सोच कर मांग रही है कि हम यह मानते हैं कि जो भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं या जो भी लोग हैं, जिनकी तनख्वाह हम निर्धारित कर रहे हैं। पहली बात तो शुरुआत सरकार को करनी पड़ेगी, सरकार यह माने कि वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आप उनको ईमानदारी से जीने का पैसा मुहैया कराइए। ये चीज विधायकों के लिए भी है, ये चीज मंत्रियों के लिए भी है, ये चीज सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है, ये चीज सरकारी वकीलों के लिए भी है, ये चीज उन लोगों के लिए भी है, जिन्होंने राशन की दुकानें खोली हुई हैं और यह चीज उन लोगों के लिए भी है जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि पहली बार सरकार पहला कदम जो बढ़ा रही है वो इस चीज को मानते हुए बढ़ा रही है कि जैसे कि सरकार ईमानदार है, उसी तरीके से उसके मुलाजिम भी ईमानदार हैं। उसी तरीके से सरकारी वकील भी ईमानदार हैं और उसी तरीके से, उसी ईमानदारी से पूरे का पूरा तंत्र चलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

v/;{k egkn; % राजेश ऋषि जी।

Jh jkt"k _f"k % धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय। आज जो ऐतिहासिक दिन है, आन्दोलन से आज यहां तक पहुंचे और जनलोकपाल बिल आज पेश हुआ, मैं उसके लिए अपने सभी साथियों और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसौदिया जी, गोपाल राय जी और हमारे सभी मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी तीन विधेयक पेश किये, ये विधेयक हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति के रूप में आये हैं। अभी जिस तरह से नितिन भाई ने बताया कि स्कूलों के अन्दर किताबें जो बाजार में 40 प्रतिशत में मिल जाती हैं वो 100 प्रतिशत में दी जाती हैं। dresses के अन्दर घपले हैं, Teachers को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। ये तो चला आ रहा है और जो स्कूलों के अन्दर फीस बढ़ाई जाती है। इसमें एक अनिल देव बर्मन कमेटी बनी थी जिसने निर्धारित किया था कि 10 प्रतिशत तक स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। Parent Teacher Association और साथ में उनके जो हमारे चार सरकारी स्कूल के चार प्रिन्सीपल्स जो उसके आस–पास के क्षेत्र के हैं, वो उस कमेटी के मेम्बर्स होते हैं। उस स्कूल की कमेटी डिसाइड करेगी कि फीस बढ़ाई जाये या नहीं।

मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कमेटियां बनती कैसी थीं। ये जो Parent Teacher Association थी ये पूरी की पूरी सब प्राईवेट स्कूलों के अन्दर फैब्रिकेटिड हैं इसमें उनके अपने ही लोग होते हैं। इसमें वो ही लोग साथ देते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, स्कूल के खर्चे बढ़ गये हैं। इसलिये इस

फीस को 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया जाये और जो प्रिन्सीपल्स आते हैं वे भी बेचारे देखते हैं कि जब पेरेन्टस बोल रहे हैं तो वो भी साइन करके चले जाते हैं। इस तरह से 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ जाती थीं।

मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 15 अगस्त, 2014 को हमने एक लड़ाई शुरू की इसी तरह से फीस बढ़ने की। ये मैटर है निर्मल भारती स्कूल, सैक्टर–14 द्वारका का। इसमें 2011 से 2014 के अन्दर 112 प्रतिशत की फीस हाइक हो गई जब इसकी कम्पलैण्ट डी.डी.ई. को की गई तो उसकी जांच आज तक चल रही है। पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। यह स्थिति है। जब हमने पता किया कि तनख्वाह क्यों बढ़ी, फीस क्यों बढ़ी तो स्कूल ने बताया कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, इसलिये हमने फीस बढ़ाया हैं जब आर.टी.आई. से ज्ञात किया तो आप लोग हैरान हो जायेंगे कि एक प्रिंसीपल को पांच लाख monthly तनख्वाह मिलती है। आर.टी.आई. से ज्ञात हुआ कि 3.22 लाख रुपये प्रिंसीपल की प्रतिमाह तनख्वाह है और 1.78 लाख रुपये पैसा और दिया जाता है एलाउन्सेज के तौर पर और उनके नीचे जो वाइस प्रिन्सीपल है, उसको केवल 80,000 रुपये दिये जाते हैं मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एक वर्ल्ड ट्रिप भी मिलता है इस प्रिन्सीपल को हर साल। जिस स्कूल के प्रिंसीपल को पांच लाख की सैलरी मिलती हो और उस स्कूल की फीस तो अपने आप ही बढ़ेगी। जब पेरेन्टस डी.डी.ई. के पास इस केस को लेकर गये तो यह केस बहुत लम्बा खिंचा। आज तक इसका फैसला नहीं हुआ है। इन्होंने पांच पेरेन्टस के ऊपर पांच करोड़ रुपये का डिफेमेशन का केस डाल दिया। वो भी चुपचाप बैठे पेरेन्टस भुगत रहे हैं कि कैसे लड़ें, कैसे क्या हो। जो आज विधेयक आया है 'लेखों

की जांच और आर्थिक फीस की वापिसी का।' यह एक मील का पत्थर साबित होगा ऐसे मैटर्स में। मैं आपको इनकी रिपोर्ट भी दिखाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया कि इसके अन्दर इनकी हर साल की इन्कम और खर्चे और इनकी कमाई वर्ष 2011 में बारह करोड़ साठ लाख दो हजार चार सौ बत्तीस रुपए का इनका खर्चा हुआ और इनकी कमाई थी उन्नीस करोड़ पचत्तर लाख पच्चासी हजार इक्कतीस रुपए की। इतनी कमाई इतनी होने के बावजूद भी इन्होंने 112 प्रतिशत की फीस hike की। इनका वर्ष 2010 का जो बैलेन्स है, ये भी दिखाती है कि दस करोड़ तेरप्पन लाख सोलह हजार की इनका खर्चा रहा और बारह करोड़ अस्सी लाख रुपये इनकी कमाई थी। इस तरह से इनकी सारी बैलेन्स शीट यह बताती है कि यह profit में चल रहे हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने 112 प्रतिशत की वृद्धि की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो अभी हमारे सोमनाथ भारती जी बता रहे थे कि हम लोग जो कोर्ट से मांग रहे थे वो मंत्री जी ने खुद ही दे दिया। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया, एक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां पर इंगलैंड से कुछ लोग आये हुए थे। मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि इंगलैंड गवर्नमेंट में हमारे बिहार के रहने वाले विजेन्द्र सिंह जी हैं वो इंगलैंड सरकार में शिक्षा सलाहकार हैं। बुजुर्ग हैं और मैंने उनसे समय लिया और अपने सरकारी स्कूलों के अन्दर उनको लेकर गया। उन्होंने देखने के बाद, सबसे मीटिंग करने की बात मुझसे एक ही बात कही कि हमारे यहां बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं और हिन्दुस्तान का बच्चा वैसे ही बहुत मेहनती होता है। केवल अपने शिक्षा मंत्री जी से बोलियेगा

सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाये। उनको motivate किया जाये कि वो पढ़ायें। क्योंकि वो पढ़ाते नहीं हैं, जो उन्होंने क्लास में जाकर देखा। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इसमें आप जरूर ध्यान दें।

एक चीज और बताना चाहूंगा कि 1946 में जैसा उन्होंने बताया कि 1946 में इंगलैंड में एक गवर्नमैन्ट आई जैसे दिल्ली के अन्दर एक सरकार आई है जनता की। आम आदमी की सरकार आई है। ऐसे ही वहां पर एक सरकार आई। उस सरकार ने आने के बाद उच्च शिक्षा का अभियान शुरू किया, जैसे कि हम लोगों ने शुरू यहां किया है कि हम यहां अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया था। वही 1946 में आई और सरकार ने हिन्दुस्तान को आजाद करवाया था। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। उसी ही 1946 में आई हुई सरकार ने भी हिंदुस्तान को आजाद करवाया था। मैं आपसे एक चीज का अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां पर एक स्कूल है जिसमें ई.डब्ल्यु.एस. के बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। अमीर बच्चों के साथ बिठाकर नहीं पढ़ाया जाता। ये सरासर गलत है। इसके ऊपर रोक लगाई जाए। आपके लाए गए सारे विधेयक जनता के हित में हैं, पढ़ाई के हित में हैं। आपने जो बजट में, जो बजट डबल किया था, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं और मैं आपके लाए गए प्रस्तावों का समर्थन करता हूं, जय हिंद।

v/;{k egksn;k % अजय दत्त जी।

Jh vt; nÙk % धन्यवाद, अध्यक्षा जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात एक छोटा सा वाक्या जो मेरे साथ हुआ, उसके साथ रखना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मेरे घर में एक जो डॉमेस्टिक हेल्प मेरी वाईफ को करती है, उन्होंने आकर कहा कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी हैं, उसके लिए मुझे आप कुछ एडवांस दे दीजिए तो as a curiosity मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे की फीस कितनी है तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दो बच्चे हैं और एक की फीस 800 सौ रुपए है और एक बच्चे की फीस 900 रुपए है, per month। तो मैंने जानना चाहा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और वो कौन सा स्कूल है जिसमें वो पढ़ते हैं तो उन्होंने मुझे एक स्कूल का नाम बताया, जिसे मैंने कभी सुना नहीं है और बताया कि उनके बच्चे एक चौथी क्लास में और एक पांचवीं क्लास में पढ़ रहा है तो मैंने और जानना चाहा कि उनके पति क्या करते हैं और कैसे उनका गुजर बसर चल रहा है? उन्होंने बताया कि पति क्योंकि वो छोटी कालोनी में रहते हैं, उनके पति कुछ काम नहीं करते और शराब पीकर सारे दिन अपने घर में लेटे रहते हैं और वो महिला सात बजे सुबह से रात को सात बजे तक काम करती है तो मैंने और आगे पूछने की कोशिश की कि आप उन्हें सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे तो उनका कहना था कि सरकारी स्कूल जो कि सारे के सारे आलमोस्ट बहुत सारे स्कूल एम.सी.डी. के पास हैं, और एम.सी.डी. में बच्चों को पढ़ाना, उनको ना पढ़ाने के बराबर है और इस बात को सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं भी अपने क्षेत्र के स्कूलों को जाकर देखूं और मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि छोटे एम.सी.डी. के स्कूलों की जो व्यवस्था है, वो बहुत खराब

है और वहां बच्चों को पढ़ाना, वास्तव में ना पढ़ाने के बराबर है और उस बहनजी जो हमारे यहां हैल्प हमें देती है डॉमेस्टिक हेल्प उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा ऐसी देना चाहूंगी जिससे कि उनका बेस स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद छठी से मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाकर और उनको तरक्की कराने का मार्ग दिखाना चाहूंगी।

मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में सभी लोगों की एक सोच बन गई है कि मैं अपने बच्चे को, एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद बच्चे का बेसिक स्तर ऊंचा हो जाएगा। पढ़ाई का बेसिक स्तर जब बन जाए तो वो उन्हें गर्वमेंट स्कूल में पढ़ा सके और वो देश का एक अच्छा नागरिक बन सके, अपने जीवन को अच्छे से चला सके।

अब हम यहां देखते हैं कि मैंने जब कुछ और जानना चाहा अपने क्षेत्र के स्कूलों के बारे में, बहुत सारे छोटे–छोटे स्कूल जिन्हें हम मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं, जब मैंने और थोड़ा जानना चाहा तो पता चला कि वो स्कूल और उनकी व्यवस्था और वहां के टीचर जो है, मुझे देखकर एक बहुत बड़ा झटका लगा कि जो टीचर वहां काम कर रहे हैं, specifically teachers, जब मैंने कुछ से बात की तो उन्होंने मुझे कोई भी पढ़ाई के विषय में satisfactory answer नहीं दिया और जब मैंने और जानना चाहा तो मुझे पता चला कि वो टीचर्स या तो उन्हें जिंदगी में कोई नहीं मिला तो उन्होंने ये टीचर का प्रोफेशन अपना लिया तो कुछ लोग जो जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पाए क्योंकि वो फेल हो गए, इस वजह से उन्होंने teaching

profession join कर लिया। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उनके पास कोई च्वाइस नहीं रही। जब मैंने उनसे और जानना चाहा कि आपकी च्वाइस क्यों नहीं है? सर क्या पढ़ाए, हमें तो चार हजार रुपए मिलते हैं, पांच हजार रुपए मिलते हैं। यहां आते हैं बच्चों को खिलाकर वे चले जाते हैं और तीन–चार घंटे की जॉब है, बस हो जाता है। मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, मैंनें कहा कि हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है और जब ये सब जानने के बाद मुझे बहुत गहन अहसास हुआ कि आज की शिक्षा पद्धति किस तरफ जा रही है और जो गुरु–शिष्य परंपरा है, उसका एक आधार क्या है? जब एक गुरु जिसको इस देश का भविष्य बनाना है, वही motivated नहीं है तो वो क्या कन्ट्रीब्यूशन करेगा इस देश का भविष्य बनाने में, इस देश के बच्चों को सिखाने में और उसी वजह से अगर हम और देखें आगे बच्चे छठी, सातवीं, आठवीं क्लास तक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं अंबेडकर नगर विधान सभा से आता हूं, वहां पर हजारों की संख्या में बच्चे सातवीं, आठवीं क्लास पढ़कर छोड़ देते हैं। उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम आगे पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं आता तो ये बहुत बड़ी विडंबना दिल्ली में, इस देश में बन रही है और हमारी सरकार ने इस विडंबना को अच्छे से समझा, सोचा और ये निर्णय लिया कि जिनको हम गुरू का दर्जा दिलवा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं वही motivated नहीं है, उनकी ही प्रॉपर वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको ही अच्छी तनख्वाह नहीं दी जा रही है तो वो क्या शिक्षा हमारे बच्चों

को देंगे? तो मैं हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से study की, एक mechanism बनाया। एक सोच के साथ इस बिल को लाए, जिसमें कहा कि हम किसी को रोकना नहीं चाहते, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे भी चलाएं, चलाइये लेकिन हमें जवाब दीजिए। आप हमारे लिए सुनिश्चित कीजिए कि आप दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और आपका ऑडिट होगा, जिससे कि यह तय किया जाए कि जो देने वाले हैं जो अध्यापक हैं, उनको आपने अच्छी सैलरी दी है और मुझे ये भी इसके पीछे एक सोची–समझी नीति लग रही है कि अगर कोई भी स्कूल किसी भी शिक्षक को दस हजार से पन्द्रह हजार का जो वेतन देगा, वो ये चाहेगा कि वो शिक्षार्थी, वो अध्यापक भी उस क्वालिफिकेशन के साथ आए, उस मोटिवेशन के साथ आए और वो डिलीवर करे हमारे स्कूलों में, हमारे समाज में जो एक्सपेक्टेड है। मैं, हमारी सरकार और इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि देश को अगर बढ़ाना है तो उसकी शिक्षा पद्धति पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। हमारे टीचर्स अगर इस प्रोफेशन में, हमारी युवा पीढ़ी आए तो वो ये सोचकर आए कि इस प्रोफेशन में मुझे अपनी जीविका चलाने का, अपने घर को अच्छे से मेन्टेन करने का एक अधिकार मिल जाए, ना कि मैं इस प्रोफेशन को बाईचान्स समझूं, नोट वाइचान्स तो वाइचान्स नहीं होना चाहिए। वाईचान्स अगर बच्चे कल को, हमारे देश का कोई भी नागरिक अच्छा टीचर बनना चाहता है तो उसको लगे कि इस प्रोफेशन में भी मेरे लिए एक सम्मान है। मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिनिमम वेतन मिलेगा तभी वो मोटिवेटिड होगा, तभी वो फैसिनेटिव

होगा और स्कूलों में पूरी शिक्षा दी जाएगी तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे उप–मुख्यमंत्री जी का कि निःशुल्क शिक्षा का बिल आज उप–मुख्यमंत्री जी ने रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है।

इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेण्ट मुझे लगी शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और जिंदगी का पूरा उद्धार, अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो मुझे ये लगता है क्योंकि मैं एक छोटे से गरीब परिवार से निकला हूं, जहां पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को साथ में पढ़ते–लिखते नहीं, पढ़ते–लिखते, एक सोच बदलती है और वो सोच समाज को बदलने की कार्यविधि में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रावधान में ई.डब्ल्यु.एस. का भी उन्होंने जिक्र किया, हमारी सरकार ने भी कहा कि जो धांधलियां प्राइवेट स्कूलों में चल रही हैं, उसको रोका जाएगा और एक सैंट्रलाइज ई.डब्ल्यु.एस. सिस्टम सैटअप किया जाएगा जिससे हर एक उस व्यक्ति को जो ई.डब्ल्यु.एस. सिस्टम सैटअप किया जाएगा जिससे हर एक उस व्यक्ति को जो ई.डब्ल्यु.एस. कैटगिरी में आता है, उसको वो अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिले। ये सारी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे उप–मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया भाई जो बहुत मेहनत से इस पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट का चला रहे हैं उनका बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षा के स्तर को जो दिल्ली में आपने इम्पलीमेंट किया है मैं यह भी चाहूंगा कि इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद।

v/;{k egkn;k % श्री राजेश गुप्ता

Jh jkt'k xIrk % अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि जो बाहर माहौल है हाउस के बाहर वह होली, दिवाली और हिन्दुस्तान में त्यौहार हो सकते हैं, सारे मन रहे हैं और हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, हमें शायद जल्दी से जल्दी बाहर जाने की जल्दी होगी। मैं उप–मुख्य मंत्री जी को इनको मैं कोशिश करूंगा कि इनको में शिक्षा मंत्री कहूं तो बहुत–बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस किस्म के बिल्स को लाने की हिम्मत जुटाई। मैं कहूंगा हिम्मत क्योंकि कभी कभी लगता है हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही शिक्षा मंत्री है, इससे पहले तो सारी स्कूल मंत्री थे। सब स्कूल चलवाने की दुकान खुलवाने के लिए राजी थे। मैं जब नया–नया इस राजनीति के क्षेत्र में हम आया तो सारे रिश्तेदार आकर कहने लगे कि यार, दो काम कर लेना एक स्कूल खोल लेना और एक हॉस्पिटल। ये कमाई के साधन हैं लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे। पैसा अपने आप आएगा। लोगों ने इन सेवा की जो चीजें हुआ करती थीं हॉस्पिटल और स्कूल आज दुर्भाग्य से उनको कमाई की दुकान मान लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक आन्दोलन से निकली हुई पार्टी थी, हमेशा उसके विचार ये ही थे कि ये ही वो दरिया है, राजनीति वो दरिया है जिससे हम लोगों की सेवा कर पाएं। पैसा कमाने का जरिया नहीं है। शायद हम छोटे–छोटे रूप में कुछ चीजें करते हैं। एक आदमी पौधा लगा दें। अगर एक पार्क बनाना है तो दस आदमी मिलकर पार्क बना दे। लेकिन आपको एक बड़ा बदलाव लेकर आना है एक बहुत बड़ा बदलाव तो वो राजनीतिक क्षेत्र में आकर होता है। और इसीलिए हम राजनीति

के क्षेत्र में आए थे और शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद कि जिस लिए हम आए थे, उन्होंने ये काम करके दिखाया। मैं सौरभ जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा कि मुझे याद आई कि अभी शिक्षा मंत्री जी मेरी विधान सभा में आए थे और एक कॉलेज में गए थे। जहां पर मैंने एक ऑडिटोरियम की बात की थी कि वहां पर बनाना है तो उन्होंने कहा कि दीवारें ऑडिटोरियम भी हम बनाएंगे, हम मना नहीं कर रहे लेकिन जरूरी यह है कि कैसे बच्चे वहां पर बना कर निकाल रहे हैं। वो बहुत जरूरी है और उस प्रिंसिपल ने मुझे बाद में कहा, वे उत्तराखंड से आती थी उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर प्रचलित था कि जो शिक्षा मंत्री होते हैं, वो कभी चुनाव नहीं जीतते दोबारा। क्योंकि लोग बार–बार उन के पास एडमिशन के लिए आते हैं और वो एडमिशन करा नहीं पाते तो लोग पूरे नाराज होते थे तो शिक्षा मंत्री चुनाव हारते हैं। लेकिन मैं अपने शिक्षा मंत्री को एक बात पक्का कह सकता हूं कि जितने बच्चे नौवीं दसवीं में पढ़कर इनके वोटर होंगे, मुझे नहीं लगता एक भी प्रतिशत वोट इधर उधर जाने वाला है। वो सारा वोट प्राइवेट का, सरकारी का, सारा मंत्री को जाना वाला है, और शिक्षा मंत्री कतई किसी हाल में हारने वाले नहीं। जो इन स्कूलों ने दुकानों की हालत बनाई हुई थी कि डेव्लपमेंट के नाम पर फीस बढ़ा देते थे, कभी बस के नाम पर कभी ए.सी. के नाम पर। कमाल की बात चल रही है कि आजकल एक क्लास के अन्दर स्क्रीन लगा दी जाती है 'कैम्ब्रिज एजूकेशन बोल दिया जाता है, कोई ऑक्सफोर्ड एजूकेशन पढ़ा रहा है। पढ़ा दरअसल कोई नहीं रहा। सबके सब पढ़े हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे पैसे वसूलने के तरीके को ढूंढा जाए कि बस पैसे बढ़ जाएं। किसी

भी तरीके से। और मुझे याद आती है एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, ये अंग्रेजी शिक्षा ठीक नहीं है, बाहर ही रहनी चाहिए। फिलहाल उनके बेटे एक सूबे के मुख्य मंत्री है आज की डेट में और वो आस्ट्रेलिया पढ़कर आए हुए हैं। इंगलिश में ही उन्होंने वो पढ़ाई की। तो हमने इस बात को समझा कि सरकारी स्कूलों का भी चलता रहे, प्राईवेट स्कूल भी साथ में चलें लेकिन कानून ऐसे न हो कि लोग तोड़ने के लिए बाध्य हो जाएं। इसीलिए उन कानूनों को बदलने की हमें जरूरत पड़ी। दुनिया भर की भ्रान्तियां बढ़ाई जा रही हैं। लोगों को नई–नई बातें बताई जा रही हैं। लेकिन खैर इसके बारे में मेरे साथी बहुत कुछ बोल चुके हैं और जैसे कि शिक्षा मंत्री जी कह चुके हैं कि उनका बाकायदा ऑडिट होगा। और जो कोई भी अनियमितता उन में पाई जाएगी, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अगर कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस बार जो ई.डब्ल्यू.एस. के एडमिशन्स हुए उसमें बहुत सारे बच्चों को दुर्भाग्यवश उन बच्चों के साथ ऐसा हुआ लेकिन वो बच्चों की, मां–बाप की गलती थी कि ई.डब्ल्यू.एस. के अंदर कोटे के बच्चे जो उसके लायक नहीं थे, जो अच्छे वर्ग से आते थे उन्होंने उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराया। ये भी एक बहुत जबरदस्त अनियमितता है और हमारी सरकार ने इसका भी ध्यान किया और बहुत सारे स्कूलों में, हम सबके स्कूलों में हमें पता है हमारी विधान सभाओं में कैसे बच्चों को, ऐसे अभिभावकों को पकड़ा गया उनके बच्चों के स्कूलों से नाम काटे गए और जिसका जो जिसका जो हक है, वो उसे मिले, ये सरकार इसलिए है और सरकार होनी इसलिए चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय

के अगर हम सब ने ध्यान दिया हो तो कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने ये किया कि केन्द्रीय विद्यालय में सीटें रिजर्व कर दी गई जो पहले थी उसका बढ़ा दिया गया कि भई, आएंगे तो उनके पास में तो कमाई का साधन तो न खत्म हो कुछ कार्यकर्ताओं के, कुछ–कुछ होता रहे। दो चार सीटें रिजर्व हो जाएंगी। कुछ पैसे कार्यकर्ता कमा लेगा उन केन्द्रिय विद्यालयों में एडमिशन करवा कर। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है कि सारे विधायक इसके लिए साक्षी हैं कि जब हम जाते थे बहुत सारे लोग गए होंगे आदरणीय शिक्षा मंत्री के पास। तो उन्होंने एक ही बात कही की भई, साफ कह दो कि एडमिशन तो अपने प्रोसेस के रूप में होगा। एक साल का समय तो मैं दिन रात कर रहा हूं। इस प्रोसेस को मैं अगले साल तक ठीक कर दूंगा। कोई तुम्हारे पास में नहीं आएगा। तो मैं उनको बहुत–बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पर पूरा ध्यान दिया और no detention policy के लिए तो हम सभी जानते हैं कि पूरी की पूरी नौवीं की क्लास फेल होकर हमारे पास आ जाती थी और कुछ बच्चे कहते थे कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे। मां–बाप आते थे कि अगली बार ये फस्ट आ जाएगा। लगातार आठवीं तक फेल हुआ कोई बात नहीं, अगली बार फस्ट आ जाएगा। तो एक मां का दिल होता है जो कहता है कि फस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत बधाई देता हूं इस बात की भी कि अगर ऐसे जरूरत पड़ी जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कुछ अभी कुछ टीवीज ने गलत दिखाया है कि नहीं, तीसरी में ही रोक देंगे। तीसरी से रोक सकते हैं तो मैंने क्लीयर भी किया तो अगर जरूरत पड़ी अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को रोकने की जरूरत है, अगर में सही हूं तो विद्यालय उसे रोक सकता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से

एक अनुरोध करना चाहूंगा कि स्कूल्स हमने बहुत सारे बनाने हैं। अगर हो सके तो हम एम.सी.डी. के स्कूल्स को टेक ओवर करने की एक प्रक्रिया चलाएं। क्योंकि जो हालात उन स्कूल्स के हैं। हर साल तकरीबन 1500 स्कूल बंद हो रहे हैं। टीचर्स को कहीं भी सेलेरी नहीं मिल रही। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बरसात में पानी नीचे आ रहा है। सर्दी में ठंड लग रही है गर्मी में गर्मी, पीने के लिए पानी है। बहुत खराब हालत है।

¼v/;{k egksn; *पीठासीन हुए*½

अनफार्च्युनेटली हम जैसे विधायक उसमें कुछ खास कर नहीं पाते। मेरा निवेदन है, मैं आखिरी बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि टीचर जब हमने कुछ टीचर्स से बात की कि एक गलतफहमी थी कि हमको तो पूरी सेलेरी मिल रही है सर तो हमको कैसे सेलरी मिलेगी। इस बिल के पास होने से 10(1) को एबोलिश कर रहे हैं तो हमारी सेलेरी कैसे मिलेगी? बहुत बातें हुईं मैंने सरकार से बातें की, उनसे भी बातें की। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको जितनी सेलेरी मिल रही है, उनको मिलेगी। जो बड़े स्कूल्स हैं जो 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत मुश्किल से हैं। हमारे भाई सौरभ जी ने कहा 50 प्रतिशत हैं लेकिन हकीकत यह है कि 80 प्रतिशत स्कूल छोटे हैं। जो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं और ईमानदारी करने की वजह से उनको सजा भुगतनी पड़ती है। स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ जो 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत स्कूल हैं जो ब्रांडेड स्कूलों के ऊपर आप कहते हैं तो अपनी ब्रांड को बचाने के लिए मुझे लगता है कम से कम अपनी सेलरी जरूर देंगे और जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने उस बात को अपने बिल में रखा है कि 50 प्रतिशत सेलेरी उनको देनी

ही होगी। तो मैं फिर से एक अनुरोध और कि सर एक और रिक्वेस्ट मेरे पास में आई है कि प्राईवेट स्कूल्स हैं, वहां पर टीचर्स का टाईम कोई फिक्स नहीं है कि पांच घंटे पढ़ाना है कि 6 घंटे। कई लोगों को 9–9 घंटे वहां पर बिठाया जाता है। तो हो सके तो इसमें हम आगे भी करेंगे और एक फिर से शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री बनने के लिए बहुत–बहुत बधाई। देखिए जैसा मैंने कहा आज तक तो स्कूल मंत्री थे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % सुश्री राखी बिड़ला जी।

lJh jk[kh fcMyk % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मुझे गौरव महसूस हो रहा है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। अभी 26 तारीख को ही हमारी पार्टी ने अपने तीन साल पूरे किए। न जाने कब सड़क पर लड़ते–लड़ते जन लोकपाल बिल के आन्दोलन करते–करते सड़क से हम लोग सदन में आ गए। पता नहीं चला और आज 14 फरवरी, 2014 का वो मंजर भी आंखों के सामने बार–बार आ रहा है जब इसी विधान सभा के अंदर जब हम जन लोकपाल बिल पटल पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे हमारे सामने खड़े कुछ साथी चिल्ला रहे थे कि हम 40 है, हम 40 है और तुम महज 28 ही और तुम इस बिल को पास नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा वादा था कि हम सत्ता का सुख भोगने नहीं, हम अपना जन लोकपाल बिल का जो दिल्ली की जनता से वादा करके आए थे, उसे पास कराने के लिए आए हैं और अगर उस दिन हम उसे पटल पर पेश नहीं कर पाए तो इस्तीफा दिया माननीय मुख्य मंत्री साहब ने, उप–मुख्य मंत्री साहब ने पूरी

कैबिनेट ने। वो दिन बार–बार याद आ रहा है और उसके साथ जनता की वो सीख जो उन्होंने कांग्रेस और बी.जे.पी. को दी कि कांग्रेस को धोखा करने के लिए जीरो पर समेट दिया और बी.जे.पी. को अलीबाबा 40 चोर का नाम देते हुए तीन पर समेट दिया। आज माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री दिल्ली सरकार के साथ–साथ मैं बहुत बधाई देना चाहती हूं इस दिल्ली की जनता को कि इन्होंने जिस सपने के साथ इस आम आदमी पार्टी का चुनकर प्रचण्ड बहुमत के साथ इस सदन में भेजा था आज उन सब लोगों का सपना पूरा हो रहा है, उनका जन लोकपाल बिल पास हुआ, पटल पर रखा गया और अब बस ईश्वर से, सदन से नहीं, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करती हूं कि केन्द्र इस जन लोकपाल को as it is पास करे, ये दिल्ली में इम्पलीमैण्ट हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से।

अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इससे पहले एक बात कहना चाहती हूं कि किसी भी देश का, किसी भी राज्य का और किसी भी शहर का या फिर किसी गांव का भी विकास तभी संभव है, जब वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा टीचर या अच्छा वातावरण मिल सके। बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम उठाकर इतना ऐतिहासिक और इतना प्रभावशाली बिल एजुकेशन फील्ड के लिए बनाया और फिर विधान सभा सदस्यों ने उसे पास किया। अभी भी राजेश गुप्ता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहना चाहती हूं कि आज तक जितने भी शिक्षा मंत्री हुए, वे शिक्षा मंत्री न होकर शिक्षा के बिजनिस हो गये। वे शिक्षा को बेचते थे, शिक्षा की दुकान

खुलवाते थे। लेकिन आज इतिहास में या जब से यह दिल्ली विधान सभा बनी है, किसी ने शिक्षा मंत्री का रोल निभाया है, तो वह माननीय मनीष सिसोदिया जी ने निभाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी दिल्ली के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा पर और ध्यान देंगे। बधाई देना चाहती हूं दिल्ली की सरकार को कि आज तक इन्होंने सभी काम ऐतिहासिक किये। आज ऐतिहासिक दिन है। हर दिन आम आदमी पार्टी की सरकार का ऐतिहासिक दिन कहलाता है और जब बजट पेश किया माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने तो वह दिन भी ऐतिहासिक था, जब शिक्षा का बजट 106 प्रतिशत बढ़ाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में जो गिरावट आई पिछले 10 से 15 सालों में, वह किसी साधारण तरीके से नहीं आई। नो डिटेन्शन पॉलिसी की जहां तक बात है, वो एक पीढ़ी की पीढ़ी...पूरी टीम की सोची समझी रणनीति के तहत पॉलिसी लाई गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस के सत्ताधारी लोगों को पता था कि आज जमाना बदल रहा है। वोटर की सोच, वोटर की निगाह, वोटर का सोचने का तरीका, सरकार और नेता चुनने का तरीके बदल रहा है। ऐसे में क्या होगा? जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की सरकार से लेकर आज तक वोटर्स को लुभाने के लिए हमारी कुछ राजनैतिक पार्टियां शॉल, कम्बल, साड़ियां, दारू, खाना–पीना देकर लुभावने वायदे कर के जिताते आई, ऐसे में अगर वोटर पढ़ गया, तो वह उनके छलावे में नहीं आयेगा और उन्हें वोट नहीं देगा। ऐसे में इन वोटर्स को लुभाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाये? तो हमारे माननीय पूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ''नो डिटेन्शन पॉलिसी''

लेकर आये कि 9वीं कक्षा तक बच्चों को पास करते जाइये, पास करते जाइये। अभी सौरभ जी ने कहा कि हर विधायक का सीजन होता है काम करने का और जो सीजन हम लोगों के लिए आता है, वह सीजन है एजुकेशन का, एडमिशन का है। जो जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। इसलिए मैं दो बार इस विधान सभा से चुनकर आयी हूं और बहुत दुख होता है कि वे बच्चों के 15–15 20–20 स्कूलों के फार्म भरते हैं और किसी भी स्कूल में नाम नहीं आता, यह एक दुर्भाग्य की बात है। अगर गलती से किसी स्कूल में आ गया तो दो से लेकर पांच लाख तक की डोनेशन के नाम पर घूसखोरी होती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस पर आते ही एक कड़ी कार्रवाई की और एक कड़ा बिल लेकर आये। इसके लिए धन्यवाद। आज तक इतिहास में ऐसा बिल लाने की क्यों किसी सरकार ने जुर्रत नहीं की? इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस और बी.जे.पी. के लोग इन्हीं स्कूलों के मालिक होते थे, जो नामी गिरामी स्कूल चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो इन नेताओं के होते थे। ऐसे में अपनी दुकान में वे किस प्रकार से कटौती कर सकते थे? किस प्रकार से अपनी आय कम कर सकते थे? इनको लगता था कि हर दिन, हर साल एम.एल.ए. के नाम पर, एडमिशन के नाम पर न जाने किस किस चीज के नाम पर धन बटोरते रहे, बटोरते रहे और अगर सरकारी स्कूलों की बात है तो नो डिटेन्शन पॉलिसी लाकर आठवीं तक बच्चे को पास करते रहे और 9वीं में आकर जब वह बच्चा फेल होता है तो मजबूरन अगर बेटी है तो उसे घर पर बिठाकर बहुत जल्दी उसकी शादी कर दी जाती है और अगर लड़का है तो आवरा संगत में पड़ता है और कभी स्नैचर और

कभी चोर कभी नशेड़ी आदि पता नहीं किस किस गलत काम में वह पड़ता है। तो मैं इन सब चीजों पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि हमारे तमाम साथी बहुत गहराई के साथ, बहुत एक–एक स्टेप टू स्टेप पूरे कानून के दांव–पेंचों के साथ इस बिल में, जो इफेक्टिव है इसकी महत्वता को आप सब लोगों के सामने रख चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यह बिल जो पेश हुआ है, इसके साथ–साथ वो लोग भी कान खोल कर सुन लें, जिन कांग्रेस और बी.जे.पी. के लोगों के प्राइवेट है और जिनके स्कूलों में यह गोरख धंधा चलता है कि बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर भी तलवार लटकने वाली है, जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है शिक्षकों का, कर्मचारियों का, अब वो मान्य नहीं होगा। हर साल ऑडिट होगा और ऑडिट होने के साथ–साथ जो इनकी काली कमाई है, जो इनकी काली करतूतें हैं, वो भी लोगों के सामने पेश की जायेंगी।

इसके अलावा सैलरी की जहां तक बात है अध्यक्ष जी, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा वाकया बताना चाहता हूं कि मेरी मां जो कि खुद गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरी सिस्टर जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है लेकिन दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। जो मेरी मां को गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है उसका एक तिहाई हिस्सा आठ घंटे पढ़ाने के बाद भी, पूरे तरीके से उन्हें नहीं मिल पाता जो मेरी सिस्टर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और वो वैल्यू एजुकेशन की, जहां तक बात करते हैं, सिर्फ टीचर को एजुकेशन के लिए बुलाया तो जाता है नाम तो टीचर का होता है लेकिन उनसे जो है एल.डी.सी. का काम, डाटा ऑपरेटर का काम, उनसे तमाम तरीके के वो काम लिए जाते हैं, जिसका वो अधिकार नहीं रखते, जिसके लिए उन्हें सैलरी नहीं

दी जाती। तमाम तरीके से मानसिक और शारीरिक तौर से प्राइवेट स्कूलों में लोगों का शोषण किया जाता है, शिक्षकों का शोषण किया जाता है और मैं बहुत–बहुत दिल की गहराइयों से हमारी सरकार को माननीय शिक्षा मंत्री को इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने न सिर्फ सैलरी का जो दौहरीकरण हो रहा था, जो ध्रुवीकरण हो रहा था, जो काला कारोबार हो रहा था, प्राइवेट स्कूलों में, उससे शिक्षकों को आपने प्रोटेक्ट किया ही किया है लेकिन मैं पुनः आपसे कहूंगी कि जो उनका मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, कहा तो जाता है कि यह पर्टिक्युलर अंग्रेजी या मेथ्स या साइंस के टीचर हैं लेकिन उनसे डाटा ऑपरेटर, एल.डी.सी., यू.डी.सी., तमाम तरीके के काम कराये जाते हैं जरा प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप लोग ध्यान दीजिए। वो आठ–आठ घंटे काम करते हैं और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज कुछ ना ही कहे तो बेहतर है क्योंकि हम सब का जो सपना था, दिल्ली के लोगों का जो सपना था, जिस सपने को लेकर इस आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ आज इस विधान सभा में हम बैठे हैं, वो सपना लग रहा है कि वो पूरा होगा बहुत जल्दी और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को आज जनलोकपाल बिल पटल पर पेश होने के लिए बहुत–बहुत शुभकामनाएं। बहुत–बहुत धन्यवाद। जयहिंद, जय भारत।

v/;{k egksn; % श्री रघुविंदर शौकीन।

Jh j?kqfonj 'kkSdhu % धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, इन शिक्षा के बिलों के बारे में आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक

धन्यवाद करना चाहूंगा और माननीय उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज जनलोकपाल बिल सदन में पेश किया, उसके लिए भी मैं अपने साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जो शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण बिल हमारे शिक्षा मंत्री दिल्ली में लाये हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम सब नो डिटेन्शन पॉलिसी की बात करते हैं कि दिल्ली में नो डिटेन्शन पॉलिसी आठवीं कक्षा तक थी, पर मैं कहता हूं वो नो डिटेन्शन पॉलिसी 12वीं कक्षा तक थी। शिक्षा मंत्री जी आज से 10 साल पहले का रिकार्ड उठा कर देखिये। दिल्ली के स्कूल्स का रिजल्ट आता था 40–45 परसेंट लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट 90–92 परसेंट आने लग गया। ऐसा कौन सा जादू सरकारी स्कूलों में हुआ और आपसे भी यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आगे जादू न चलता रहे। हम सब बात करते हैं सिर्फ आठवीं तक की, लेकिन बहुत से लोग जिनके घर में अध्यापक होंगे सरकारी स्कूल के, वो बतायेंगे कि कैसे बारहवीं का रिजल्ट हमारा 90–92 परसेंट आता था तो उसमें भी बदलाव आना चाहिए, सिर्फ तीसरी तक नो डिटेन्शन पॉलिसी लाने से बदलाव नहीं आयेगा। उस बदलाव को लाना बहुत जरूरी है और आज हम सब बात करते हैं कि एडमिशन के टाइम पर प्राइवेट स्कूल की ये तो अनअथोराइज्ड कॉलोनी और जे.जे. कॉलोनी जैसे क्षेत्रों के जो विधायक हैं, वो बतायेंगे कि एडमिशन के टाइम पर हमारे पास सरकारी स्कूल के लिए ज्यादा मारा–मारी होती है, प्राइवेट स्कूल के लिए मारा–मारी नहीं होती, क्यों, अनअथोराइज्ड कॉलोनियों में न तो सरकारी स्कूल हैं, तो वो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ही...आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट केंद्र सरकार ने भी पास कर दिया और दिल्ली सरकार

ने भी पास कर दिया, लेकिन क्या उन सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। बहुत से बच्चे पीछे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बना दी कि इस ऐज ग्रुप तक का बच्चा इस क्लास में एडमीशन ले पाएगा। लेकिन बहुत से गरीब वर्ग के बच्चे जिनमें से ज्यादातर को न तो उन्हें ऐज पता होती है या उनके एडमीशन ही बहुत लेट होते हैं। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनके कहीं एडमीशन ही नहीं होते हैं। तो उसमें भी बदलाव लाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।

इसी तरह अनॉथराइज कॉलोनियों में हमारे अधिक से अधिक स्कूल खुलें ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ये बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने जो दिल्ली में 500 स्कूल खोलने की बात की थी, उसमें ज्यादातर स्कूल या तो ग्रामीण क्षेत्र में या अनॉथराइज कॉलोनियों में खुलेंगे तभी सभी को शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा आज हम सभी बात करते हैं कि टीचरों को पूरी सेलरी नहीं दी जाती। दिल्ली में दो तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल तो वो हैं जो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। दूसरी तरह के स्कूल वो हैं जिनको फीस तो मिलती कम है लेकिन उन्हें अपने रिकॉर्ड में फीस दिखानी पड़ती है ज्यादा। अब आप लोग कहते हैं न वो चैक से पेमेंट वापस लेते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे कानून जो पुराने कानून थे उन्होंने सब स्कूल वालों को झूठ बोलने पर मजबूर कर रखा है कि वो चाहते हैं जो कानून था कि सरकारी ग्रेड टीचरों को मिले। लेकिन जो स्कूल 500 रुपये फीस लेता है वो अपने टीचरों को सरकारी ग्रेड कैसे दे देगा। उन्हें अपने पेपर वर्क में ही फीस 1500–2000 रुपये दिखानी पड़ती है ताकि वो उनकी सेलरी पूरी कर सकें। तो आदरणीय

शिक्षा मंत्री जी ने जो ये बदलाव किया है तो मैं तो सोचता हूं कि वो ऐसे स्कूल मेजोरिटी में ग्रामीण क्षेत्र में और अनॉथराइज कॉलोनियों में और जे.जे. कॉलोनियों में ही हैं। तो उस क्षेत्र के स्कूलों को जो सरकार के बिना बात के इस झूठ के प्रेशर में रहना पड़ता था, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। इसलिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का दिल्ली में उन्होंने जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है, उसके लिए बहुत–बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो इन्होंने दिल्ली के शिक्षा नियमों में बदलाव किया। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egkn; % श्री गुलाब सिंह जी।

Jh xqykc flag % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इतने महत्वपूर्ण जो तीन बिल पेश हुए हैं आज और शिक्षा मंत्री जी ने पिछले 9 महीने में जरूर इसके ऊपर गहनता से अध्ययन किया होगा। क्योंकि एजुकेशन के मामले में मेरे ख्याल से सारे विधायक जानते हैं कि अपने–अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनसे आपका रोजाना कहीं न कहीं आमना सामना होता है। स्कूल में होता है या फिर वो आपके ऑफिस में आते होंगे और प्राइवेट स्कूल वाले भी आते होंगे। हम सबके पास ये बड़ी समस्याएं थी कि किस तरह से जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान करें। तो आपने आज सारी समस्याओं का एक निराकरण किया है। सही मायने में तो इन तीनों बिलों के माध्यम से। आज मैं सुबह ही सेक्टर–10 द्वारका, प्रतिभा स्कूल में गया। उस स्कूल को देखकर ऐसा लगा कि सरकारी स्कूल भी इतने सुन्दर हो सकते हैं क्या? इतने बेहतर हो सकते हैं क्या? मैं आपको बताऊं। मेरा अनुभव है विधायक बनने के बाद जब पिछली बार विधायक बने, जब एडमिशन चल रहे थे पिछली बार तो उसमें

मेरे पास ऐसे लोग आए जो डी.पी.एस. से निकालकर अपने बच्चों को प्रतिभा में एडमिशन कराने के लिए आए मतलब एक विचित्र सी बात दिखी, क्योंकि इतने सुंदर स्कूल और कितनी अच्छी स्टड्डी वहां पर चल रही है इस चीज को देखते हुए मैंने स्वयं एक स्टैप लिया और स्टैप ये लिया कि सरकार अपनी आई जरूर अच्छे कानून बनेंगे नो डिटैंसन पॉलिसी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया तो मेरी हिम्मत हुई और हिम्मत ये हुई चाहता तो मैं भी सोच लेता, चाहते तो हमारे और सारे विधायक हैं द्वारका में 41 स्कूल हैं मेरी असेम्बली के अंदर और उन 41 में से 80 परसेंट स्कूलों में नेताओं के हिस्से हैं। मेरे पास खुद की जमीन है, मेरे दादा जी के नाम की जमीन है, मैं चाहता तो मैं भी सोचता कि एक एन.ओ.सी. ले लेता और एक स्कूल हम भी बना लेते हैं लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने वो किया जो एक जनता के प्रतिनिधि को करना चाहिए मैंने स्वयं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में एडमीशन कराया। मैंने खुद जीने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान के अन्दर चार हजार से अधिक विधायक हैं सदन के अंदर हमारे जितने भी सदस्य बैठे हैं आप भी जाकर गुगल पर सर्च मारके देखना इस विधान सभा को अपने आप में ये जो डिसीजन है, ये अपने आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए आप सबको कि आपकी विधान सभा का एकमात्र सदस्य है जो पूरे हिन्दुस्तान का पहला विधायक है जिसका बेटा आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है ये शुरुआत हमने की है और मैं आप सब से भी अपील करता हूं कि अपने–अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को आने वाले समय में इतना बेहतर बनाएं कि हम सब अपने बच्चों को गवर्नमैंट स्कूल में भेजने की हिम्मत जुटा लें। एक अंग्रेजी में कहावत है Necessity is the mother of invention बिल्कुल आवश्यकता थी, अभी दिल्ली की जनता

ने एक नया अविष्कार किया कि आम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व सौंपा हमारे हाथ में और यहां पर भेजा और बखूबी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन मैं देखता हूं कई सारे स्कूलों में खासतौर से जो स्लम में स्कूल हैं, अनॉथराइज कॉलोनी में स्कूल हैं, वहां पर तो बच्चे नीचे बैठते हैं। स्कूल के अंदर बैठने की जगह नहीं है लेकिन एक देहात का क्षेत्र है, देहात में वास्तव में गम्भीरता से सोचने की जरूरत है, हमने तो खुद वहां के जो वालंटियर भी हैं जो हमारे उनके साथ में एक अभियान चलाए हैं कि गांव–गांव जाकर हम लोगों से अपील करें कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, वहां पर कॉमर्स, साइंस, इग्लिश मीडियम दिलाना हमारा काम है, हां थोड़ा समय जरूर लग सकता है, सरकार प्रयास कर रही है, जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे कोर्सिज वहां पर शुरू हों लेकिन हम जाकर लोगों को बताएं। स्वयं मेरा जो गांव है, घुम्मनहेड़ा वो साउथ–वैस्ट दिल्ली में शायद उससे बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी किसी स्कूल की लेकिन बच्चे हैं 127, यानि की वो स्कूल जहां पर 1997 के अंदर 2700 बच्चे पढ़ते थे आज उसी बिल्डिंग के अंदर 127 बच्चे पढ़ते हैं। यानि कि प्राइवेट स्कूलों ने, इन दुकानों ने इस तरह से लोगों को अपनी तरफ खिंच लिया यह बहुत चिंता का विषय है इतनी सारी बिल्डिंगें दिल्ली देहात के अंदर खाली पड़ी हैं। आज कई सारे स्कूल ऐसे हैं, जहां पर डैस्क नहीं है, लेकिन कई सारे गांव के स्कूल ऐसे हैं जहां डैस्क एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो आप बिल लेकर आए हैं, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जिस तरह से नकेल आप कसने जा रहे हैं, हम किसी भी प्राइवेट स्कूल को बिल्कुल आपने सही कहा, माननीय मंत्री जी ने एक बात बहुत सही कही कि हम किसी प्राइवेट स्कूल को बंद करने के पक्ष में नहीं हैं, हम इनके खिलाफ नहीं हैं। बस हम चाहते हैं कि इनके ऊपर शिकंजा कसें, जैसे राजेश ऋषि भाई ने कुछ तथ्य

रखे ये मेरी विधान सभा का मामला है। एक स्कूल में इन्कम उसको बिजनेस बनाया शिक्षा को ये बिल्कुल आर.टी.आई. का जवाब कहता है, ये हालात हैं स्कूलों के और मैं तो ये भी कहूंगा कि एक ये एमंडमैंट इसके अंदर होना चाहिए कि जैसे ही एडमिशन आएंगे गेट के ऊपर मोबाइल रखवा दो, आज ओरों को तो छोड़िए विधायक को भी ये कहा जाता है कई सारे स्कूल में कि आप मोबाइल को बाहर रख दीजिए। सारे विधायक इस बात के लिए हामी भरेंगे कि विधायकों के मोबाइल्स तक भी बड़े–बड़े प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इन्होंने एडमिसन के दौरान गेटकीपर को बोलकर बाहर रखवाने की हिम्मत दिखाई। पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा। ये तो हमने कहा है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं तो मोबाइल लेके जाएं, किसी भी सरकारी विभाग में जाएं तो मोबाइल लेके जाएं तो फिर इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये कहते हैं कि नहीं, यहां पे खतरा है। अरे! खतरा उसी समय आता है जब एडमिशन होते हैं, तो इसके ऊपर जरूर एक हमारी तरफ से सरकारी तरफ से एक सर्कुलर जारी होना चाहिए ताकि पेरेंट्स जाकर लड़ सकें। उस सर्कुलर को लेके कि हम मोबाइल अंदर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि डोनेशन लेने का इससे पहले तक डायरेक्ट रूट था लेकिन अब इन्होंने रूट चेंज कर दिया, अब जो रूट चेंज कर रहे हैं तो वो बंदा कम से कम सामने तो आए वो अपने मोबाइल में आवाज तो रिकॉर्ड कर ले, हालत ये हैं कि हम अपने डी.डी. को शिकायत करते, सबको शिकायत करते हैं लेकिन सबूत के अभाव में, सबूत क्या होगा, सबसे बढ़िया सबूत है वॉयस रिकॉर्डिंग, विडियो रिकॉर्डिंग वो चीज जिस दिन लोगों को हाथ में आप हथियार दे देंगे, एक सरकुलर जारी करके कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के दौरान बिकोज एडमिशन का समय आने वाला है, अभी से लोगों

ने चक्कर काटने शुरू कर दिये हैं, लोगों को ये विश्वास हो सके की हां, मैं अपना मोबाइल लेकर अंदर जा सकता हूं उसकी आवाज रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पे ये क्रांतिकारी कदम होगा। मैं आपको पुनः इस बिल के लिए, जो तीनों बिल यहां पर आये। जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रान्तिकारी स्टेप दिल्ली गवर्नमेन्ट का है इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूं और अध्यक्ष जी आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

v/;{k egkn; % आज की सूची में जिन विधायकों को बोलना। एक सेकेण्ड।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो मिनट। 6 बज गये हैं। भई कल बोल लीजियेगा। कल चर्चा रहेगी। शिक्षा पर मोहेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए। शिक्षा के बिल पर कल भी चर्चा होगी। आज की सूची में तीन नाम बाकी रह गये हैं। मोहेन्द्र गोयल जी, मदन जी और भावना गौड़ जी। तीनों को कल लेंगे बाकी और नाम कल लेंगे। गिरीश जी का भी रह गया है क्या?

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

¼lnu dh dk;Zokgh fnukad 1 fnlEcj] 2015 dks vijkg~u 2-00 cts rd ds fy, LFkfxr dh x;hA½